

Press note

Food Safety and Standards (Import) Regulation, 2017

A number of food products are being imported into India from the various countries. As per the mandate for providing safe and wholesome food to public, FSSAI made its presence at various port to check and clearance of safe food. Authorized officers appointed by the FSSAI on these port performing their duties through FICS.

As provided in the Act, and for the purpose of streamlining the process of clearance of imported food in an efficient and transparent manner, the FSSAI has notified Food Safety and Standards (Import) Regulation, 2017 after due consultation with stakeholders.

These regulations lay down the procedure for clearance of food products imported into India and include various provisions related to licensing of food importer; clearance of imported food by the Food Authority; food import clearance for specific purposes; storage, inspection and sampling of imported food; laboratory analysis of samples of imported food article, and prohibition & restriction on food imports, amenable food labelling provision for ease of trade, and privilege for importer to get their concerns, if any, address in respect of the clearance of their food products.

Along with the above said provision, it also specifies the scheme for risk based sampling imported food articles, which facilitate ease of doing business while not compromising the health of Indian public.

These regulations will come into force from the date of its notification in the Official Gazette of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938

No. 97]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

फा. सं. 1/2008/आयात संरक्षा/एफएसएसएआई.—खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016, के प्रारूप जिसे भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4 में संख्या फा.स. 1/2008/आयात सुरक्षा/ एफएसएसएआई, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किये गए थे व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझाव, जिसके द्वारा उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र की प्रतियां जिस उस दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त अधिसूचना में अन्तविष्ट राजपत्र कि प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी थी;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 1 नवम्बर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

आपत्तियां और सुझाव, जो कि जनता से उक्त अधिनियम के संबंध में प्राप्त हुए थे पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;

अतःएव उक्त अधिनियम की धारा 92 के उपधारा 2 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाती है अर्थात्

अध्याय - I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम 2017 है (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.— (1) इन विनियमों में जब तक की संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित न हों:-
क) "अधिनियम" से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

- ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्य करने के लिए किसी आदेश से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- ग) "शेष शेल्फ जीवन" से अभिप्रेत है जो आयात की तिथि (आयात साधारण प्रकट-आईजीएम) से यथा स्थिति "से पहले" या "समाप्ति की तिथि" के बीच की अवधि से है;
- घ) "बिल ऑफ एन्ट्री" से अभिप्रेत है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 (1962 का 52) के उपबंधों के अंतर्गत आयातक द्वारा दायर बिल ऑफ एंट्री से है;
- ङ) "अभिरक्षक" से अभिप्रेत वह अधिकारी है जिसे कि सीमाशुल्क आयुक्त के द्वारा नियुक्त किया गया है तथा जिसकी देखरेख में आयातित वस्तुएँ तब तक रहेंगी जब तक कि उन वस्तुओं को घरेलु उपभोग के लिए सीमाशुल्क क्षेत्र से पास नहीं किया जाता है अथवा जैसा कि विधि में उपबंध के अनुसार गोदाम में रखवाया जा चुका हो अथवा ट्रान्स शिप किया जा चुका हो।
- च) "सीमा शुल्क हवाई अड्डे" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) के अधीन नियत किया गया हवाई अड्डे से अभिप्रेत है;
- छ) "सीमा शुल्क क्षेत्र" से अभिप्रेत है जो एक सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र से है और इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें साधारणतया आयातित माल या निर्यात माल आमतौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी से पहले रखा जाता है;
- ज) "सीमा शुल्क हाउस एजेंट" से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे सीमा शुल्क हाउस एजेंट विनियमन, 2004 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन परिभाषित किया गया है;
- झ) "सीमा शुल्क पत्तन" से अभिप्रेत किसी भी ऐसे पत्तन से है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के खंड (क) (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त है और उसमें एक अंतः स्थलीय आधान डिपो होने के लिए उस धारा के खंड (कक) के अंतर्गत नियुक्त जगह सम्मिलित है;
- ञ) "फीस" से अभिप्रेत है जो खाद्य सुरक्षा परेषण में आयातित वस्तु की निकासी के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रभार से है;
- ट) "खाद्य विश्लेषक" से अभिप्रेत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 45 के अधीन नियुक्त खाद्य नमूना विश्लेषण करने के लिए एक व्यक्ति है;
- ठ) "खाद्य आयातक" से अभिप्रेत है वह जो एक खाद्य व्यापार परिचालक है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं का आयात कर रहा है अथवा खाद्य वस्तुओं के आयात की वांछा रखता है, जिसके पास सम्यक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 अधिनियम के अधीन अधिसूचित आयातक के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त है;
- ड) "आयात" से अभिप्रेत है जो भारत में भूमि, समुद्र या वायु के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को लाना है;
- ढ) "गैर-अनुरूपता रिपोर्ट" से अभिप्रेत है जो उस रिपोर्ट से है जिसे प्राधिकृत प्राधिकारियों या खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट इस कार्य के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातकों को इस अधिनियम के उपबंधों और खाद्य आयातकों के परेषण के अंतर्गत नियमों के अनअनुपालन के कारण बनाया जाता है;
- ण) 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' से अभिप्रेत है उस प्रमाण पत्र से है जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातकों को प्राधिकृत अधिकारी या किसी या विशेषतः इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अनुपालन के साथ और खाद्य आयातक के परेषण के अंतर्गत बनाए जाते हैं;
- त) "पैकिंग सूची" से अभिप्रेत खाद्य पदार्थों की उस सूची से है जो आयातित खाद्य पदार्थ के वर्णन, मात्रा और भार को बताती है;
- थ) "पूर्व आगमन दस्तावेज जांच" खाद्य आयातक द्वारा सीमा शुल्क पत्तन पर आयातित खाद्य की तेजी से निकासी की सुविधा के लिए खाद्य पदार्थों के वास्तविक समय से आने से पूर्व, अग्रिम में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के लिए निर्दिष्ट करता है;

- द) "निषिद्ध खाद्य वस्तु" से अभिप्रेत है जो उस निषिद्ध खाद्य से है जिसे समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध घोषित किया जाता है और जिसका विवरण खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है,
- ध) "निषिद्ध स्थान अथवा स्रोत" से अभिप्रेत उस विशेष स्थान से है जिसके लिए खाद्य प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर खाद्य के आयात के लिए सशर्त या पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है;
- न) "पुनर्वलोकन आवेदन शुल्क" से अभिप्रेत है खाद्य पदार्थों के आयात की स्वीकृति के लिए प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध खाद्य आयातक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन के निस्तारण की दिशा में प्राधिकरण द्वारा लगाया गया शुल्क है,
- त) "पुनर्वलोकन अधिकारी" से अभिप्रेत है प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से है
- प) "जोखिम आधारित यद्विद्विखिक नमूना चुनाव" से यद्विद्विखिक वह जोखिम मानदंड के पहचान और आयातक के अनुपालन इतिहास के आधार पर यद्विद्विखिक खाद्य नमूनों के चुनाव की गतिविधि अभिप्रेत है ;
- फ) "शैल्फ जीवन" से विनिर्माण की तारीख और "से पहले उपभोग योग्य" या जो भी पहले हो के रूप में लेबल पर मुद्रित "अवसान की तिथि" के बीच की अवधि, अभिप्रेत है
- ब) "भराई सूची" से अभिप्रेत है खाद्य वस्तुओं की सूची या आधान या कार्टन या पैलेट या स्किडों के अन्दर उसके वास्तविक रूप से की गयी व्यवस्था।
- भ) "पारगमन देश सूची" से अभिप्रेत है देशों की वह सूची है जिसके माध्यम से यह पहले आयातित खाद्य पारगमन भारतीय सीमा तक पहुँच जाता है,
- म) "बिना दावा किये खाद्य वस्तु" से अभिप्रेत है एक आयातित खाद्य परेषण जिसका कोई दावा या बिल ऑफ एंट्री या दोनों ही माल के उतरने के तीस दिन तक न हो।
- य) "पास न की गई खाद्य वस्तुएं" से अभिप्रेत है उस आयातित खाद्य परेषण से है जिसकी परिदान आयातक के द्वारा खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में तीस दिन के समय के भीतर नहीं लिया जाता है,
- र) "दृश्य निरीक्षण" से अभिप्रेत है वह निरीक्षण की प्रक्रिया है जो प्राधिकृत अधिकारी या उस अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त के उस प्रयोजन के लिए की जाती है जो खाद्य परेषण की वास्तविक स्थिति, दस्तावेज और पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों के अनुपालन की जांच करती है जैसा नमूना लेने से पहले खाद्य सुरक्षा अनुपालन के द्वारा निश्चय किए गए होते हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन नियमों और विनियमों को विलिखित किये गए हैं।

अध्याय -2

खाद्य आयातकों को अनुज्ञापन देना

3. (1) कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकरण से एक आयात अनुज्ञप्ति के बिना कोई भी खाद्य आयात नहीं करेगा।
- (2) कोई खाद्य वस्तु सीमा शुल्क से तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक इसमें सीमा शुल्क से इसकी मंजूरी के समय में साठ प्रतिशत तक शैल्फ जीवन न हो।
- (3) उपनियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए खाद्य के आयात के लिए खाद्य व्यापार प्रचालक अनुज्ञप्ति के अलावा, खाद्य आयातक खुद भी विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होगा और उसके पास पंजीकृत और विधिमान्य आयात निर्यात कोड होगा।
4. अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दिकरण.—(1) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण अधिनियम 3 में दिये गये उपबंधों के अनुरूप उक्त अधिनियम का अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 उल्लंघन करने पर खाद्य आयात अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है।
- (2) विनियम 3 में अन्तःविष्ट किसी बात होते हुए भी, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण खाद्य आयात अनुज्ञप्ति धारक के पक्ष को सुनने के पश्चात, लागू नियमों के अधीन दिए गए खाद्य आयात अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है, यदि कोई पदामिहित

अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास होता है कि:-

- (क) कि यह विश्वास के लिए पर्याप्त आधार हो कि खाद्य आयातक ने री-चैनलिंग और पुनः पैकिंग सहित निषिद्ध स्रोतों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असुरक्षित खाद्य, निषिद्ध खाद्य या खाद्य आयात करने का प्रयास किया गया है;
- (ख) खाद्य आयातक अनुज्ञप्ति, इन विनियमों, या उपक्रम के वांछित प्रयोग की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है।
- (3) खाद्य आयातक केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को और किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक-निर्यातक कोड के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र को निलंबन, निरसन या रद्द करने के बारे में सूचित करेगा जो निलंबन, निरसन या रद्द करने के आदेश की तारीख के बाद तीन कार्य दिवस से अधिक नहीं होगा।
- (4) जब विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा दिया गया निर्यातक कोड निलंबित कर दिया गया हो, तब आयात अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार की अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम 2011 के अधीन दिया गया आयातक-निर्यातक प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।
- (5) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण आयातक के निरस्त आयात अनुज्ञप्ति पर अधिनियम के अधिन पुनर्विचार अथवा पुनः जारी कर सकती है परिणाम स्वरूप विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिए गए आयात-निर्यात के पूर्व में जारी कोड का निलंबन, निरसन या रद्दीकरण को वापस ले लिया गया हो तथा आयातक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उस पर सात दिनों के अन्दर विचार किया जा सकता है यदि-
 - (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक-निर्यातक कोड के आयातक प्रमाणपत्र के निलंबन, निरसन या रद्दीकरण को वापस ले लिया जाता है या अलग कर दिया जाता है
 - (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा उक्त आयातक के लिए नया आयातक निर्यातक कोड जारी किया जाता है।

अध्याय – 3

खाद्य प्राधिकरण द्वारा आयातित खाद्य की निकासी

5. (1) हवाई अड्डे पर खाद्य परेषण के आगमन पर, आयातक या सीमा शुल्क हाउस एजेंट सीमा शुल्क द्वारा एक विशेष एकीकृत घोषणा पत्र दायर करेगा।
- (2) सीमा शुल्क के द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य आयात निकासी प्रणाली को अग्रेषित आवेदनों को निम्नलिखित रीति से संसाधित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - (क) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्रों की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं;
 - (ख) समाधानप्रद समीक्षा पर, आवेदक को फीस के रूप में दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण और नमूनों के चयन और उनकी जांच के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान करना होगा;
 - (ग) जहां खाद्य वस्तुओं के परेषण खाद्य वस्तुओं की कई श्रेणियों से मिलकर एकल बिल ऑफ एंट्री बने हैं, उसमें प्रत्येक खाद्य वस्तु की श्रेणी के अनुसार लागू होगा;
 - (घ) खाद्य प्राधिकरण निर्दिष्ट और समय-समय पर निरीक्षण शुल्क की समीक्षा करेगा;
 - (ङ.) फीस की रसीद पर, प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण की तिथि एवं समय का विवरण खाद्य आयातक को देगा ताकि आयातक या उसका सीमा शुल्क हाउस एजेंट या अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित होने में सुविधा हो।
- (3) खाद्य आयातक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण में भाग लेने के लिए कस्टम क्षेत्र में निर्धारित समय पर दृश्य निरीक्षण में सहयोग के लिए, नमूनों के चयन में सहायता के लिए उपस्थित रहेगा यदि आवश्यक हो, प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा जैसा निदेशित किया गया हो, आयात निकासी की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और गवाह कार्यवाही, प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नमूने की मुहरबंदी में सहयोग करेंगे और मुहरबंदी किए गए नमूनों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
- (4) यदि खाद्य आयातक या उसका सीमा शुल्क हाउस एजेंट निरीक्षण और नमूने चयन के लिए दो अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण और खाद्य के नमूने लेने के लिए आगे अवसर देने से इंकार कर सकते हैं:

परन्तु इस संबंध में किसी को आगे समय समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है खाद्य आयातक पर उपयुक्त उद्ग्रहण लगाने के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह अवसर दिया जा सकता है।

(5) दृश्य निरीक्षण की रिपोर्ट फॉर्म-1 में प्रस्तुत की जाएगी।

6. पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों के मानकों का अनुपालन.— (1) कोई भी खाद्य आयातक उस खाद्य पदार्थ को आयात नहीं करेगा जिसे तापमान और स्वच्छता की इष्टतम भंडारण की स्थिति में भंडारित नहीं किया जाता या ले जाया नहीं जाता, उस समय पर उस खास खाद्य के लिए लागू नियमों के अनुसार पैक या लेबल नहीं किया जाता।

(2) कई खाद्य पदार्थ या खाद्य का कोई परेषण जो एक कंटेनर या गत्ते का डिब्बा या फूस या स्किड में पैक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं इस तरीके से पैक किया जाएगा कि प्राधिकृत अधिकारी उनका निरीक्षण और नमूना आसानी से ले सके।

(3) यदि एक उचित भराई सूची के अभाव में, प्राधिकृत अधिकारी आधान को दोबारा भरने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को एक आदेश जारी करने के लिए निर्देशित करेगा और दोबारा भरने में सहयोग करेगा, ताकि निरीक्षण और नमूने लेने में सुविधा हो।

(4) आयातित खाद्य परेषण के मामले में, सुधार योग्य लेबलिंग की कमियों को दूर करने के लिए कस्टम बाध्य गोदाम में मुख्य प्रदर्शन पैनल से आगे एक गैर वियोज्य स्टीकर लगाकर अथवा अन्य किसी भी गैर-वियोज्य तरीके से लेबलिंग पर निम्नलिखित विशेष अनुमति दी जाएगी अर्थात:-

(क) नाम और आयातक का पता;

(ख) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का लोगो एवं अनुज्ञप्ति पत्र संख्या

(ग) मांशाहारी या शाकाहारी का लोगो

(घ) प्रवर्ग और उप प्रवर्ग के साथ साधारण नाम, प्रकृति तथा सांपातिक खाद्य के लिए संयोजन

(5) सुधारयोग्य लेबलिंग की कमी के संबंध में उप में निर्दिष्ट - विनियमन (4), प्राधिकृत अधिकारी एक आदेश खाद्य आयातक या उनके अधिकृत एजेंट को पारित कर सकता है, जिस से कि वे सीमा शुल्क क्षेत्र में दिए गए समय-सीमा में या किसी भी तरीके से वास्तविक लेबल सूचना को निर्धारित समय में बिना फेरबदल किये या किसी भी रूप में मूल लेबल पर एक और लेबल लगाये बिना अनुज्ञेय लेबलिंग सुधार कर सकता है।

(6) खाद्य आयातक द्वारा लेबल पर सुधार करने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी खाद्य का फिर से निरीक्षण करेगा और समाधान होने पर नमूना लेगा, बशर्ते खाद्य आयातक द्वारा अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।

(7) अगर खाद्य आयातक उप विनियमन (4) में निर्दिष्ट अनुज्ञेय त्रुटी को दूर करने के लिए असफल रहता है तो निर्धारित समय के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आयातित खाद्य को मंजूरी देने के आदेश से इनकार कर सकता है और एक गैर अनुरूपता रिपोर्ट जारी कर सकता है।

(8) यदि प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि खाद्य आयातक ने इस विनियम के उपबंधों का पालन किया है, तो प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खाद्य आयातक या उसके सीमा शुल्क हाउस एजेंट की उपस्थिति में नमूनों की जांच के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य से खाद्य नमूनों के दो भागों को एकत्रित करेगा।

(9) अगर खाद्य विश्लेषक नमूना की प्राप्ति के बाद किसी भी अन्य मानकों या घटकों पर अधिक जानकारी चाहता है तो प्राधिकृत अधिकारी खाद्य आयातक को इस तरह की जानकारी विधिवत दस्तावेजी सबूत द्वारा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा।

(10) लेबलिंग और पैकेजिंग विनियमन 2011 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले परेषण को दृश्य निरीक्षण पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और कोई कोई नमूना नहीं लिया जाएगा

अध्याय-4

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए खाद्य आयात निकासी

7. (1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो खाद्य वस्तु वह अपने निजी उपयोग के लिए ला रहा है बशर्ते ऐसे किसी भी खाद्य वस्तु की कीमत सीमा शुल्क द्वारा समय-समय पर अनुमत कीमत से अधिक नहीं होगी।

- (2) व्यक्तिगत उपभोग के लिए आयातित खाद्य ले जाने वाला व्यक्ति प्रारूप-7 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (3) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सीमा शुल्क अधिकारी खाद्य प्राधिकरण को आयातित खाद्य वस्तु के निकासी के लिए नहीं कह सकता है जब तक ऐसा खाद्य पदार्थ निम्न के लिए न हो: -
- (क) वर्तमान सरकार के निदेशों के अनुसार निर्यात और निर्यात को अस्वीकार कर दिया या फिर आयातित खाद्य फिर से निर्यात हो रहा है;
- (ख) खाद्य सामग्री या संघटक या सहयोज्य जिन को कि निर्माताओं या प्रसंस्कृतकर्ताओं के द्वारा अपने खपत उपयोग हेतु या मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को सौ फीसदी निर्यात के लिए आयातित किया जा रहा है; या खाद्य वस्तुओं या सामग्री या संघटक उनकी सहायक कम्पनियों के द्वारा आयात किया जा रहा है या पूरी तरह सहायक कम्पनियों के द्वारा पूरी तरह निर्यात के लिये उपयोग किया जा रहा है बशर्ते दो संस्थाओं के बीच ऐसा करार हो चुका हो;

स्पष्टिकरण-1 : उपनियम 2 के खण्ड (ख) के उद्देश्य हेतु, आयातक कस्टम विभाग को प्रारूप-8 में आयातित उत्पाद के खपत उपयोग अथवा अंतिम उपयोग के सम्बन्ध में प्रविष्टी बिल भरते समय जानकारी प्रस्तुत करेगा, यह घोषणा करते हुए कि आयातित खाद्य पदार्थ को सौ प्रतिशत निर्यात के लिए या दोबारा से निर्यात के लिए प्रयोग किया गया है और इसके किसी भी भाग की आपूर्ति घरेलू खपत के लिए नहीं की जाएगी।

स्पष्टिकरण-2 : विनियमन 3 उप खंड (ख) के अधीन सुविधा व्यापारिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगी जो ऐसी वस्तुओं का आयात खपत उपयोग हेतु उनके अंतिम उपयोग की पता लगाने क्षमता की समस्या के कारण नहीं करते हैं;

(4) खाद्य आयात की मंजूरी कांउन्सलर संबंध, 1963 (कांसुलर संबंध, 1963 को वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 50) पर वियना कन्वेंशन के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(5) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनों के लिए खाद्य आयात की मंजूरी के अधीन अनुमति दी जाएगी: -

- (क) एक अनुज्ञप्ति खाद्य आयातक द्वारा किए जा रहे आयात;
- (ख) खाद्य आयातक के द्वारा प्रारूप-9 में यह जानकारी देनी होगी कि आयातित खाद्य केवल उक्त वर्णित प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जाएगा;
- (ग) घरेलू बाजार में जारी या परीक्षण विपणन या बाजार अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं किया।

(6) प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए, आयातित खाद्य की निकासी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात:

- (क) प्रदर्शक, आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, यदि कोई हो, सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट और प्रदर्शक सुगम व्यापार के लिए प्रारूप -10 में घोषित करेगा;
- (ख) अगर खाद्य 'चखने' के लिए प्रस्तावित है तो आयातक प्रदर्शक या संस्था मूल देश के खाद्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा;
- (ग) खाद्य उत्पाद जो विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा आयात के लिए निषिद्ध मदों की सूची में शामिल है या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं उन्हें प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने या चखने के लिए आयात करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- (घ) प्रदर्शनी के लिए सभी उत्पाद में एक अतिरिक्त गैर-वियोज्य लेबल या स्टीकर यह बताते हुए होगा कि उत्पाद: "केवल प्रदर्शनी उद्देश्य के लिए ही" और " बिक्री के लिए नहीं हैं";
- (ङ.) आयातक को आयातित खाद्य उत्पादों पर यदि पहले से लेबल नहीं लगाए गए हैं तो अतिरिक्त सीमा शुल्क के गोदाम में अतिरिक्त लेबल चिपकाने की अनुमति दी जा सकती है;
- (च) आयात प्रदर्शक निम्न सामग्री के बिलों को रखेगा: -
- (i) प्रदर्शनी के लिए आयातित मदों का बिल
- (ii) चखने के लिए या नष्ट किए जाने के लिए मद
- (iii) प्रदर्शनी / मेला / घटना के अंत में मूल देश को फिर से निर्यात के लिए वस्तु और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग पर इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

- (छ) प्रदर्शनी के स्थान पर एक पोस्टर आवश्यक रूप से खाद्य पदार्थों बताते हुए 'केवल चखने के लिए' प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ज) खाद्य उत्पादों का बचा हुआ भाग जिन्हें चखने के लिए खोला गया है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्य आयातक द्वारा प्रदर्शनी के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।
- (झ) बंद और बचे हुए खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पैक करके प्राधिकृत अधिकारी के अधीन सूचित करते हुए खाद्य आयातक द्वारा फिर से निर्यात किया जाएगा।
- (7) खाद्य प्राधिकरण ऐसे खाद्य आयातों को विदेशी देशों से आयात की अनुज्ञा दे सकता है जिनका अनन्य रूप से उपभोग सिर्फ निर्यातक देश के खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है।
- (8) इस तरह के मामलों में आयातित खाद्य पदार्थों की मात्रा ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक उपभोग या उपयोग की आवश्यकता जो उस देश में उनके प्रवास या कार्यक्रम की अवधि तक जो भी पहले हो, से अधिक न हो, और बचे हुए खाद्य पदार्थ को मूल देश में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य द्वारा प्राधिकृत देश के प्रतिनिधि के द्वारा मूल देश में भेजा जाएगा।
- (9) आयातक आयातित खाद्य परेषण की मंजूरी के प्रारूप -11 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (10) इन नियमों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की घटना में, खाद्य आयातक या किसी भी व्यक्ति या संस्था को रियायत या सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, जो भविष्य में तय की जाएँगी और ये परिणामों के अलावा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा।
- (11) जहां कोई भी खाद्य पदार्थ देश के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा या आपात स्थितियों के मामले में अन्य देशों से मुफ्त प्राप्त होता है, आयातित खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा को दाता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए या सुरक्षा प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय - 5

आयातित खाद्य का भंडारण, निरीक्षण और सैम्पलिंग

- 8. खाद्य आयात के लिए भंडारण की सुविधा.—** (1) किसी भी खाद्य पदार्थ को इस रीति से भंडारित नहीं किया जाएगा कि एक प्रकार का खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आए।
- (2) आयातित खाद्य वस्तुओं, को सख्ती से निकासी से पहले सीमा शुल्क गोदाम में निर्दिष्ट भंडारण की स्थिति के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा, ऐसा न होने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी खाद्य खपत का आयात निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए मना कर सकते हैं।
- (3) पत्तन के अधिकारी और माल भाड़ा स्टेशनों के संरक्षक पर्याप्त और अनुकूल भंडारण की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे; जिससे सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य परेषण के तब तक सुरक्षित रह सके जब तक सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित खाद्य वस्तुओं को अनुज्ञा नहीं दे दी जाती।
- (4) आयातित खाद्य वस्तुओं के मामले में जिन्हें विशेष भंडारण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, प्राधिकृत अधिकारी खपत के लिए आवश्यक सही भंडारण स्थितियों को सत्यापित करेगा।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी एयर कार्गो प्रचालक या संरक्षक पत्तन या हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क भंडारण क्षेत्र में वांछित विशेष भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सुनिश्चित करेगा।
- (6) भंडारण सुविधा की अननुपलब्धता के मामले में सीमा शुल्क विभाग से प्राधिकृत अधिकारी सीमा शुल्क विभाग से आयातक के भंडारण को सीमा शुल्क क्षेत्र के रूप में माने जाने की पुष्टि करेगा।
- (7) उप-विनियम (6) के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत अधिकारी आयातक से प्रारूप -12 में वचनबन्ध पत्र प्राप्त करेगा तथा एक अनंतिम अनापत्ती प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिस से कि आयातक आयातित खाद्य वस्तुओं को अच्छी तरह से सुसज्जित भंडारण क्षेत्र में ले जा सके।
- (8) विनियम के किसी भी प्रावधान के पालन न करने के मामले में, आयातक भविष्य में किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के पात्र नहीं होगा तथा प्रचलित विनियमों के अनुसार अन्य समुचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आयातक को जारी कर सकता है यदि वह मानकों के अनुरूप विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर समाधान हो।

(10) आयातक या सीमा शुल्क केवल निकासी आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर मंजूरी के बाद बिक्री सुनिश्चित करेगा।

9. आयातित खाद्य की वस्तुओं के संबंध में आयातित खाद्य का नमूना चयन।

(1) प्राधिकृत अधिकारी या उसका प्रतिनिधि लेबलिंग और पैकेजिंग विनियम, 2011 के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा तथा आयातित खाद्य के संबंध में वैध संतुलन शेल्फ जीवन के साथ निम्नलिखित रीती से नमूने एकत्रित करेगा अर्थात्: -

(क) प्रत्येक वर्णन या उपायों के (सड़ने से रोकने वाले के अलावा मुहरबंद पैकेट) खाद्य नमूने के दो भाग लेगा;

(ख) खाद्य विश्लेषक के पास नमूने की मात्रा जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अधीन निर्दिष्ट की गई है अग्रेषित करेगा;

(ग) नमूनों को मुहरबंद करें

(2) (क) ऐसे मामलों में जहां आयातित खाद्य को निर्माता के द्वारा एस्पेटीक या हीड्रोस्कोपिक की स्थिति को बनाए रखने के लिए सील थोक आधान में पैक किया जाता है, निर्माता द्वारा इस घोषणा के साथ उसी बैच से सील किए गए दो प्रतिनिधि नमूने प्रदान करेगा जो कि मुहरबंद किये गए आधान में खाद्य कण नमूना आधान में प्रतिनिधि नमूने के साथ मैच करता हुआ हो।

(ख) जहां प्रतिनिधि सीलबन्द नमूने को खण्ड (क) में निर्दिष्ट किया जाए जहां इस तरह के प्रतिनिधि सीलबन्द नमूने निर्माताओं के द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं ऐसे मामले में प्राधिकृत अधिकारी सील तोड़ कर प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करने के लिए समर्थ है।

(ग) प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद आधान में से, जहाँ भी सील प्रतिनिधि प्रदान नमूने संदिग्ध प्रतीत होता है से प्रतिनिधि नमूने इकट्ठा करने के लिए ले सकते हैं।

(3) सात दिनों से कम शेल्फ आयु वाले आयातित खाद्य मदों के संबंध में आवेदक प्रपत्र-13 में घोषित करेगा और जिससे प्राधिकृत अधिकारी नमूना लेगा और प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र सीमा शुल्क विभाग को जारी करेगा, तथा प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यदि उत्पाद तय मानकों पर खरे उतरते हैं तो वह सीमा-शुल्क विभाग को अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ सूचित करेगा।

(4) नमूने के गैर अनुरूपता के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर को उनका परेषण वापस लेने के लिए सूचित करेगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (खाद्य वापसी प्रक्रिया), 2017 के अनुसार एक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) खाद्य प्राधिकरण सभी आयात स्थानों को समान कम्पनी के द्वारा उत्पादित उत्पादों या समान उत्पाद को आयात करने वाली कम्पनीयों या सीमा शुल्क दलालों पर सतर्कता बरतने के लिए सजग करेगा।

(6) मुहरबंद नमूना के आयातित खाद्य लेबल पर निम्नलिखित जानकारी वहन करेगा अर्थात्: -

(क) नमूने की कोड संख्या;

(ख) तारीख और संग्रह का स्थान;

(ग) नमूने की मात्रा;

(घ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम-2011 के अनुसार खाद्य का नाम एवं श्रेणी;

(ङ.) अगर किसी भी नमूने को लेते समय मिलाये गये परिरक्षक यदि कोई हो, की मात्रा और नाम;

(च) खाद्य आयातक या उसके सीमा शुल्क हाउस एजेंट का नाम और हस्ताक्षर;

(छ) प्रेषक के नाम और हस्ताक्षर शासकीय मुहर के साथ।

(7) प्राधिकृत अधिकारी खाद्य सील और लेबल किए गए खाद्य वस्तु के एक हिस्से को खाद्य विश्लेषक के पास अग्रेषित जो इसका विश्लेषण आयात विनियमन, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण), 2011 के 2.1 के अधीन अधिसूचित प्रयोगशाला में करेगा।

- (8) प्राधिकृत अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा मुहरबंद एवं लैबल लगे हुए एक भाग को उप विनियम-7 में निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं को परेषित करने के पश्चात उपयुक्त परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाएगा।
- (9) नमूना के सुरक्षित पाए जाने पर शेष खाद्य नमूना आयातक को लौटा दिया जाएगा।
- (10) यदि नमूना असुरक्षित पाए जाने की स्थिति में, खाद्य आयातक से प्राप्त अपील पर दूसरा नमूना रेफरल प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अग्रेषित किया जा सकता है।
- (11) विदेश के देशों द्वारा निर्यात अस्वीकृत परेषण जिसे मूल देश के रूप में भारत को लौटा दिया गया है, वह इन्हीं विनियमों का विषय होगा, सिवाय इसके कि पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्यात के देश के अनुरूप किया जाएगा। आयातक भी निर्यात देश के अस्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (12) खाद्य विश्लेषक के पास प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा भेजे गए नमूने, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकृत प्रयोगशाला से खाद्य वस्तु का विश्लेषण करेगा और उसकी प्राधिकृत अधिकारी को पांच दिन के भीतर रिपोर्ट भेजेगा कि उत्पाद मानकों के अनुरूप या गैर अनुरूप है। बशर्ते, ट्रेडमार्क युक्त खाद्य को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन, 2011 के अनुसार सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं जैसे संदूषण, विषाक्त पदार्थ, अवशेषों, तथा सूक्ष्म जीवों, के संदर्भ में खाद्य वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार जांचा गया हो।
- (13) अगर नमूने को निर्धारित समय में प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है प्राधिकृत अधिकारी लिखित में खाद्य विश्लेषक से इसका कारण पूछेगा तथा खाद्य विश्लेषक इसकी अपने हस्ताक्षरित सूचना प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेगा।

अध्याय - 6

प्रयोगशाला - आयातित खाद्य के नमूनों का विश्लेषण

10. **खाद्य विश्लेषक .—** (1) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजा आयातित खाद्य के नमूने का विश्लेषण, खाद्य विश्लेषक खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला से कराएगा।
- (2) रेफरल या अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा आयातित खाद्य के प्रति नमूना विश्लेषण के लिए देय फीस को समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी प्रयोगशाला अधिनियम की उप-धारा (1) और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के खाद्य सुरक्षा धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए आयातित खाद्य के नमूने का पहला भाग भेजेगा।
- (4) अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करेगा अर्थात्: -
- क) प्राधिकृत अधिकारी से खाद्य का नमूना प्राप्त होने पर, अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए आवश्यक सभी जानकारी उपलब्ध या नमूने की मात्रा की पर्याप्तता तुरंत पता लगाने के लिए नमूने का प्रारंभिक निरीक्षण करेगा, यदि खाद्य नमूने में कोई भी कमी है तो वह तुरंत ही प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करेगा;
- ख) अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला द्वारा खाद्य की विभिन्न प्रवर्गों के नमूने परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली परीक्षण पध्दतियों और प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करेगी: परन्तु, उन मामलों में जहां परीक्षण पद्धति खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, उनमें अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला कोडेक्स एलीमेंटोरस आयोग या मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन या महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करेगा।
- ग) अधिसूचित रेफरल प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसा परीक्षण विधि लाएगा जो किसी विशेष खाद्य पर किया जा सकता है या कोई नया उपकरण जो उपयोग हो सकता है किन्तु इसका प्रयोग खाद्य प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (5) यथा स्थिति अधिसूचित प्रयोगशाला या रेफरल प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट को नमूना प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर प्रारूप-2 में खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करेगा।
- (6) एक आयातक गैर अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करने के पंद्रह दिनों में अधिसूचित लैब के परिणामों के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

- (7) खाद्य आयातक की अपील पर, प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट रेफरल प्रयोगशाला में अधिनियम की धारा 43 और खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 की उप-धारा (2) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए आयातित खाद्य का दूसरा नमूना भेजेगा।
- (8) जब भी किसी खाद्य नमूने में प्रयोगशाला विश्लेषण में संदूषकों और सूक्ष्म जीवों का पता चलता है जिस से कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है खाद्य विश्लेषक उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करेगा।
- (9) इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी का यह विश्वास है कि आयातित खाद्य परेषण उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है तो वह इसकी पुष्टि के लिए स्वप्रेरणा से रेफरल प्रयोगशाला को दुसरा नमूना परीक्षण के लिए प्रेषित करेगा।
- (10) विनियम 10 के उप विनियम (9) में बताए गए पुनः परीक्षण को तुरंत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाद्य प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाएगा।
- (11) नमूने, यदि खतरनाक पाए जाते हैं तो उन्हें जैव खतरे दिशा निर्देशों का पालन कर एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जाएगा, और सभी संबंधित आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूनों को अनिवार्य रूप से नष्ट किया जाएगा या मूल देश में वापस निर्यात कर दिया जाएगा, खाद्य आयातक को निदेश प्राप्त होने के तीस दिनों में ऐसा करना होगा, जिसके न करने पर खाद्य आयातक की अनुज्ञप्ति को भी रद्द समझा जाएगा।

अध्याय - 7

जोखिम आधारित खाद्य आयात निकासी के लिए स्कीम

11. जोखिम आधारित ढांचे - (1) खाद्य प्राधिकरण, आयातित खाद्य वस्तुओं की निकासी के लिए एक जोखिम आधारित ढांचे और जोखिम आधारित निरीक्षण प्रक्रिया की पुनर्विलोकन कर सकते हैं।
- (2) उप विनियम 1 की प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण आयातक, सीमा शुल्क हाउस एजेंटों, आयातित उत्पाद, आयातित उत्पाद के निर्माता, देश की उत्पत्ति, स्रोत देश परेषण, प्रवेश, अनुपालन इतिहास की प्रोफाइल और अन्य कोई भी मानकों जो कि पत्तन वस्तु के साथ जुड़े जोखिम की रूपरेखा के लिए उपयुक्त हो की प्रोफाइल रखेगा।
- (3) खाद्य प्राधिकरण आयात की गई खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के नमूने जांच की बारम्बारता को निर्दिष्ट कर सकता है।
- (4) प्राधिकरण आयात को विनियमित करने के लिए पूर्व आगमन दस्तावेज़ की पुनर्विलोकन व्यवस्था प्रस्तुत कर सकता है।
- (5) संबद्ध मंत्रालय के साथ परामर्श में उचित रूप से खाद्य प्राधिकरण पारस्परिक आधार पर देशों के निर्यात और व्यापार करने में आसानी के साथ खाद्य आयात के त्वरित निकासी की सुविधा के लिए उप-विनियम-2 में निर्दिष्ट देशों और संबंधित अभिकरणों के साथ ज्ञापन के करार कर सकता है।
- (6) खाद्य प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं को भारत में आयात करने से पूर्व निर्यातक देशों में खाद्य जांच के लिए पूर्व परीक्षण प्रयोगशालाओं की पहचान कर सकता है।
- (7) खाद्य प्राधिकारी समय समय पर खाद्य चेतावनी सूचनाएं जारी कर सकता है जिसमें खाद्य लेख के साथ जुड़े जोखिम के आधार पर समयबद्ध निषिद्ध खाद्य पदार्थ या निषिद्ध स्रोत या प्रत्याह्वान, सम्मिलित होते हैं।
- (8) सभी आयातक खाद्य परेषण के साथ जुड़े जोखिम की किसी भी स्थिति के मामले में उत्पादों की पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करने की आपात योजना का विस्तारपूर्वक वर्णन एक वापस भेजने की योजना प्रस्तुत करेगा, जिसके असफल होने पर खाद्य व्यापार परिचालक का अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द हो सकता है।
- (9) खाद्य चेतावनी अधिसूचना तुरंत सीमा शुल्क विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सूचित की जाएगी।
- (10) चेतावनी अधिसूचना तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक खाद्य प्राधिकरण समाधान न हो जाए कि अब कोई जोखिम नहीं है या जोखिम नियंत्रण के उपाय कर लिये गए हैं और जैसा परीक्षण रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है।
- (11) चेतावनी अधिसूचना के विलम्ब के दौरान, खाद्य प्राधिकरण प्रवेश स्थान पर अतिरिक्त परीक्षण के लिए, निर्यातक देशों से आवश्यक प्रमाणीकरण या तटीकरण स्थान पर आदेश जारी कर सकता है।

(12) सरकारी अभिकरण सभी खाद्य आयात के निकासी के बाद निगरानी करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

क) आयातित खाद्य वस्तुओं पर यादृच्छिक जाँच ,

ख) आयातक या सीमा शुल्क हाउस एजेंट के द्वारा सीमा शुल्क विभाग को उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई संबंधित दस्तावेज और जानकारी जो कि की गई घोषणाओं का समर्थन करते हों।

अध्याय – 8

खाद्य आयात वस्तुओं पर निषेध और निर्वन्धन

12. खाद्य के आयात पर प्रतिबंध और निषेध के लिए खाद्य प्राधिकरण की आदेश जारी करने की शक्ति - (1) खाद्य प्राधिकरण जोखिम अनुमान या रोग के प्रकोप के आधार पर किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है या निषेध कर सकता है जिसे वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।

(2) खाद्य प्राधिकरण समय समय पर सलाह या दिशानिर्देश या आदेश जारी कर सकता है जिस से कि वह सुरक्षा और खाद्य की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकता हो और ऐसे प्रतिबंधों को समय समय पर सीमा शुल्क को सूचित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक खाद्य आयातक जिसे किसी भी दिशा या आदेश को इन विनियमों में से किसी उपबंधों के अनुसरण में जारी किया जाता है तो वह ऐसे आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा और अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो आयात अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है।

(4) सीमा शुल्क अधिकारी, पत्तन के अधिकारी या कोई अन्य अभिकरण सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित खाद्य वस्तुओं की निकासी, अस्वीकृति, नीलामी, या नाशन में शामिल है तो वह तामाही आधार पर खाद्य प्राधिकरण को ऐसे सभी आँकड़े प्रदान करेगा।

अध्याय – 9

खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी

13. (1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात निकासी के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को अधिसूचित करेगा, और खाद्य आयात मंजूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाए रखने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों के अधिकारियों सूचित कर सकता है।

(2) प्राधिकृत अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियां होंगी अर्थात्:-

(क) खाद्य आयात निकासी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्राप्त करना;

(ख) खाद्य आयात की ऐसी जांच और निरीक्षण करना जिससे कि यह सत्यापित हो सके कि आयातित खाद्य अधिनियम, नियम और विनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करता है;

(ग) अगर आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण अंतिम उपयोग घोषणा के रूप में सही तरीके से नहीं किया गया है तो निरीक्षण से मना करना तथा सीमा शुल्क को बताना;

(घ) विनियमन 6 में विर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ङ.) पुनरवलोकन और प्रलेखन के लिए आयातित खाद्य परेषण की फोटो ग्राफ लेना;

(च) यदि विनियम 6 में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया हो तो आयातित खाद्य के परीक्षण के लिए नमूने लेना;

(छ) खाद्य वस्तु की बिल मूल्य के भुगतान पर आयातित खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त नमूनों को एकत्र करना,

(ज) नमूने लेने के लिए किसी भी खोले गए पैकेट को पुनः मुहर बंद करना और यह सत्यापित करना कि इसे नमूने लेने के लिए खोला एवं बन्द किया गया था।

(झ) विश्लेषण के लिए उचित तरीके से अधिसूचित प्रयोग शाला के खाद्य विश्लेषक को नमूने अग्रेषित करना और प्रयोगशाला विश्लेषक कि रिपोर्ट प्राप्त करना

(ञ) दृश्य निरीक्षण, जोखिम क्षमता और खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयातित खाद्य के खाद्य नमूनों पर अतिरिक्त परीक्षण के आदेश देना

- (ट) खाद्य प्राधिकरण को खाद्य का कोई भी नया प्रकार या खाद्य सामग्री, या पहले से अज्ञात खतरों या किसी भी अन्य तकनीकी कठिनाइयों के बारे में सूचित करना;
- (ठ) सभी खाद्य आयात का अभिलेख बनाए रखना, नमूने और संबंधित क्रियाकलापों, की गई कार्रवाई, समीक्षा प्रक्रिया को लिखित रूप में रखना, समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा आवंटित कार्य और सीमा के पत्तन के क्षेत्राधिकार के भीतर सहित सभी निरीक्षण की तस्वीरों, ऑडियो- वीडियोग्राफी करवाना;
- (ड) खाद्य आयातक द्वारा किसी भी अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन प्राधिकरण को रिपोर्ट करना
- (ढ) आवश्यक शर्तों के साथ आयातित खाद्य पदार्थों को नष्ट करना या दोबारा से निर्यात करना जैसा वह उचित समझे और उक्त की अनुपालना सुनिश्चित करना;
- (ण) पूर्व आगमन दस्तावेज की पुनर्विलोकन के अन्तर्गत खाद्य आयातक से आगमन पूर्व सूचना प्राप्त होने पर तुरंत प्रयोगशाला को सूचित करना;
- (त) खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाएं सभी निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करवाना और परीक्षण के नियमों या अनुमतियाँ खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सभी मानदंडों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना;
- (थ) खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाएं खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में आयातित खाद्य की प्रयोगशाला विश्लेषण का अभिलेख बनाया जाना सुनिश्चित करना;
- (द) पुनर्विलोकन समीक्षा प्रक्रिया के दौरान समीक्षा अधिकारी के सामने सभी संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों को पेश करना;
- (ध) सीमा शुल्क प्राधिकारियों से आयातित खाद्य माल पर डेटा या जानकारी लेना;
- (न) खाद्य आयातक की अपील के अनुरोध के आधार पर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में फिर से विश्लेषण के लिए खाद्य के नमूने के शेष भागों को उपयुक्त परिस्थितियों में सुरक्षित रखना या खाद्य आयातक या रसीद के साथ खाद्य व्यापार प्रचालक को लौटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
- (प) अनापत्ति प्रमाणपत्र या गैर अनुरूप प्रमाण पत्र को सीमा शुल्क अधिकारियों और खाद्य आयातक के लिए जारी करना;
- (फ) समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित अन्य कर्तव्यों का क्रियान्वयन करना;

अध्याय – 10

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश

- 14. अनापत्ति प्रमाण पत्र - (1)** खाद्य की सुरक्षा का निर्धारण करने के बाद आयात किए जा रहे खाद्य की अनुमति के लिए अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन इन नियमों के आधार पर खाद्य के आयात करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट प्रारूप 3 में एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करेगा, और सीमा शुल्क और खाद्य आयातक को इसकी सूचना उचित रीति से प्रदान करेगा।
- (2) खाद्य के आयात के अनापत्ति प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों तक होगी जिसमें खाद्य आयातक के द्वारा खाद्य पदार्थों को सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की पुनर्विलोकन समय समय पर खाद्य प्राधिकरण करेगा।
- (3) खाद्य आयातक अनापत्ति प्रमाणपत्र में दी गयी विधिमान्यता अवधि के अन्दर सीमा शुल्क क्षेत्र से जारी खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर लेगा जिसके न किए जाने पर उन्हें बिना निकासी किए खाद्य पदार्थों में माना जाएगा।
- (4) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति सीमा शुल्क और खाद्य आयातक को प्रेषित की जाएगी जहाँ भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी एक गैर अनुरूपता रिपोर्ट प्रारूप 4 में जारी करेगा जिसमें उन आधारों का विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन नियमों के आधार पर इंकार किया गया है, जहाँ भी आयातित खाद्य पदार्थों की निकासी को मना किया गया है, अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अंतर्गत, और वह ऐसे आदेश को सीमा शुल्क, खाद्य प्राधिकरण और खाद्य आयातकों को एक निर्दिष्ट तरीके से बताएगा।
- (6) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति को सीमा शुल्क, खाद्य प्राधिकरण और खाद्य आयातक के पास भेजा जाएगा जहाँ भी रिपोर्ट को एक गैर-अनुरूपता प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है।

(7) गैर अनुरूपता प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट और रेफरल प्रयोगशाला से बाद में पुष्टि की अनुशंसाओं एवं पुष्टि के आधार पर अगर प्रदूषक या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा होने की संभावना है तो प्राधिकृत अधिकारी, पूर्व अनुमोदन के साथ खाद्य प्राधिकरण के प्रारूप - 5 के अनुसार खाद्य को अनिवार्य रूप से नष्ट करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(8) सीमा शुल्क प्राधिकृत अधिकारी को सभी उचित जानकारी रिपोर्ट प्रदान करेगा और उसे वित्तीय वर्ष की हर तिमाही में उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय - 11

पुनर्विलोकन प्रक्रिया

15. पुनर्विलोकन योग्य आदेश - (1) प्राधिकृत अधिकारी के निम्नलिखित आदेशों में से किसी आदेश द्वारा व्यथित खाद्य आयातक ऐसे आदेश के खिलाफ किसी पुनर्विलोकन अधिकारी को आवेदन कर सकता है: -

- (क) विनियमन 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थिति के साथ गैर अननुपालन के आधार पर आयातित खाद्य वस्तुओं की निकासी से मना करने पर;
 - (ख) कोई भी ऐसा आदेश जो कि खाद्य आयातक को खाद्य की लेबलिंग सुधारने के लिए निर्देश देता हो;
 - (ग) खाद्य विश्लेषक से गैर-अनुरूपता रिपोर्ट के आधार पर जारी अस्वीकृति की रिपोर्ट।
- (2) (क) पुनरावलोकन आवेदन प्रारूप अनुसूची-6 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा और यह शुल्क समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट के साथ किया जाएगा।
- (ख) पुनरावलोकन आवेदन को समीक्षा अधिकारी के समक्ष खाद्य आयात के लिए अस्वीकृति की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह कार्य दिवसों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (ग) पुनर्विलोकन अधिकारी सात कार्य दिवसों की एक विस्तारित अवधि के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट है कि खाद्य आयातक के पास उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।
- (3) (क) पुनर्विलोकन अधिकारी तथ्यों पर विचार करेगा और समय समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और अधिनियम के उपबंधों और और उसके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के अनुसार आवेदन का पुनर्विलोकन करेगा।
- (ख) सभी दस्तावेजों के साथ पुनर्विलोकन के लिए पूरा आवेदन प्राप्त होने पर, पुनरावलोकन अधिकारी को यदि उचित लगता है तो वह तारीख, समय और खाद्य आयातक का प्रतिनिधित्व सुनवाई के आयोजन स्थल समय और दिनांक नियत करेगा।
 - (ग) खाद्य आयातक, व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि, और प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समीक्षा आवेदन की सुनवाई करेगा।
 - (घ) या तो वह आयातक या प्राधिकृत अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, पुनर्विलोकन आवेदन की सुनवाई में संज्ञात करने के लिए असफल रहता है पुनर्विलोकन अधिकारी गुणागुण पर पुनर्विलोकन निर्णय करने के लिए विचार कर सकेगा।
 - (ङ) खाद्य आयातक और प्राधिकृत अधिकारी का उत्तर उसके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने के बाद पुनर्विलोकन अधिकारी सात दिन की अवधि के भीतर सभी पुनर्विलोकन आवेदनों का निपटान करेगा:
परन्तु कि पुनर्विलोकन अधिकारी साक्ष्य या सामग्री की अनुज्ञान दे सकेगा यदि वह ठीक समझे तो वह भी रेफरल प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूना का एक हिस्सा अग्रेषित कर सकता है।
 - (च) पुनर्विलोकन अधिकारी किसी भी पुनर्विलोकन आवेदन को समाप्त करने पूर्व कोई भी जांच कर सकता है यदि वह उचित समझे या वह ऐसी किसी भी जांच के लिए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश दे सकता है और उसी के परिणाम की सूचना दे सकता है।

- (छ) पुनर्विलोकन अधिकारी, समीक्षा आवेदन की सुनवाई के समय पर उन कारणों की भी पुनरावलोकन कर सकता है जिनको पुनर्विलोकन के लिए उचित नहीं माना गया था, यदि पुनर्विलोकन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उस आधार को जानबूझ कर नहीं हटाया था।
- (ज) पुनर्विलोकन आवेदन को समाप्त करने का पुनर्विलोकन अधिकारी का आदेश लिखित में होगा और वह ऐसा तय करने के कुछ बिंदु, निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण बताएगा।
- (झ) पुनरावलोकन आवेदन के निपटान पर, पुनर्विलोकन अधिकारी खाद्य आयातक, सीमा शुल्क और प्राधिकृत अधिकारी को समीक्षा आवेदन पर पारित आदेश की संसूचित करेगा।
- (ञ) खाद्य आयातक पुनर्विलोकन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

अध्याय -12

निरस्त खाद्य परेषण और खाद्य नमूने के निपटान

16. आयातित खाद्य परेषण की अस्वीकृति: - (1) (क) गैर-अनुरूपता रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अभिरक्षक या आयातक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों के अनुसार आयातित खाद्य परेषण का निपटान करेगा:

परन्तु, किसी भी खाद्य परेषण को तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अपील दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं हो गई हो।

परन्तु यह और कि, खाद्य के भंडारण में किए गए खर्च के मामलों में खाद्य आयातक द्वारा वहन किया जाएगा;

- (ख) प्राधिकृत अधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से दस दिन की अवधि के अन्दर नमूने का शेष भाग खाद्य आयातक या सीमा शुल्क हाउस एजेंट को रसीद के साथ वापस करेगा;
- (ग) यदि, खाद्य आयातक नमूने के शेष भागों को प्राप्त नहीं करते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट रीती से नमूने का निपटान करेगा;
- (घ) गैर-अनुरूपता रिपोर्ट प्राप्त होने पर नमूने के शेष भागों को खाद्य आयातक या उसके सीमा शुल्क हाउस एजेंट को वापस नहीं किया जाएगा और तीस दिन की अवधि के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा:
परन्तु, यदि खाद्य आयातक के द्वारा गैर अनुपालना रिपोर्ट के विरुद्ध कोई भी निर्दिष्ट आवेदन या विधिक कार्यवाही दायर की जाती है और अगर वह लंबित है, तो नमूने के दूसरा भाग प्राधिकृत अधिकारी के पास समीक्षा आवेदन या किसी भी विधिक कार्यवाही के निपटान तक सुरक्षित रहेगा;
- (ङ) यदि कोई पुनर्विलोकन आवेदन दायर नहीं किया जाता है और नमूना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है तो नमूने को विनियम 14 के विनियम 7 के अनुसार नष्ट किया जा सकता है।
- (च) यदि इन नियमों के अंतर्गत कोई पुनर्विलोकन आवेदन गैर अनुरूपता रिपोर्ट की समीक्षा हेतु इसकी जारी होने की निर्दिष्ट समय सीमा तक दाखिल नहीं की गयी है या यदि समीक्षा अनानुज्ञात की गयी है तो प्राधिकृत अधिकारी खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए नमूने के शेष भाग का निपटान करेगा।

अध्याय - 13

गैर-स्पष्ट और गैर-दावा किए गए खाद्य का उपचार

17. प्राधिकृत अधिकारी उक्त विनियमों के अधीन निर्धारित की गई निरीक्षण, नमूना चयन, परिक्षण, तथा मंजूरी के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन गैर-अनुमत खाद्य और गैर दावा किये गये खाद्य के निपटान करने के लिए करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, अभिरक्षक द्वारा किये गए अनुरोध कि प्राप्ति पर और अपेक्षित फीस के भुगतान को सुनिश्चित करने के पश्चात निरीक्षण और प्रयोगशाला विश्लेषण आधारित खाद्य पदार्थ के परिक्षण रिपोर्ट के पश्चात अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी या गैर अनुपालना रिपोर्ट गैर-मंजूर या गैर-दावा किये गये खाद्य परेषण के लिए करेगा।

प्रारूप - 1

[विनियम 5 (5) देखें]

दृश्य निरीक्षण प्रारूप

आधान पर मुहरबंद का निरीक्षण किया गया, उसे ----- के रूप में पढा गया तथा इसे अविकृत पाया गया।
सील को प्राधिकृत अधिकारी या उसके प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में तोड़ा गया :

- 1.
- 2.
- 3.

तोड़ी गई मुहरबंद का प्रारूप



भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण



प्रवेश पत्तन:

<p>इस पैकेज को एफएसएसआई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोला गया और एक नमूना लिया गया है जिसका अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी की सील</p>	<p>स्थान: _____</p> <p>नमूना आईडी: _____</p> <p>हस्ताक्षर: _____</p> <p>अधिकारी का नाम: _____</p> <p>दिनांक: _____</p> <p>समय: _____</p>	<p>पैकेज को मेरी उपस्थिति में पुनः मुहरबंद किया गया है।</p> <p>सीमा शुल्क हाउस एजेंट के लघु हस्ताक्षर</p>
--	--	---

(कृपया लागू को चिन्हित करें)

आधान में कुछ भी भंडारित नहीं किया गया था.

निम्नलिखित को आधान में भंडारित पाया गया:

- 1.
- 2.
- 3.

खाद्य वस्तुओं को साफ और स्वच्छ अवस्था में भंडारित किया गया तथा ये निम्न से मुक्त थे:

1. कीट के जीवित/ मृत/ अंश
2. कृतक संदूषण
3. सडन
4. अवांछित गंध, दाग अथवा फफूंदी

5. कोई अन्य पदार्थ, जो खाद्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

पैकेजिंग करने वाली सामग्री का निरीक्षण किया गया और निम्नलिखित पाया गया;

पैकेज प्रथम दृष्टया पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुसार (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुरूप पाया गया।

खाद्य परेषण के पैकेज का निरीक्षण किया गया और निम्नलिखित को देखा गया:

1. आकार
2. उपयोग की गई सामग्री
3. सुरक्षित रूप से पैक और मुहरबंद
4. काटने के निशानों, जंग, छिद्रण, सीवन विरूपण, रिसाव आदि से मुक्त

पैकेज का संक्षिप्त विवरण:

लेबल का फोटोग्राफ

अवलोकन - खाद्य परेषण, खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुपालन में है। खाद्य वस्तु नमूना लेने के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया, और इसलिए नमूना लिया / नहीं लिया गया।

हस्ताक्षर/प्राधिकृत अधिकारी

प्रक्रिया को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में क्रियान्वित किया गया, जिन्होंने प्रक्रिया की सत्यता के लिए वर्तमान ज्ञापन पर अपनी पावती के टोकन के रूप में हस्ताक्षर किए।

- 1.
- 2.

प्रारूप - 2

[विनियम 10(5) देखें]

प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट

प्रयोगशाला का नाम और पता

परीक्षण प्रमाण पत्र सं:

दिनांक:.....

प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. नमूना की पहचान | : नमूना सं.: |
| 2. संदर्भ सं. | : |
| 3. नमूना प्राप्त हुआ | : |
| 4. नमूना का ब्यौरा | : नमूना सामग्री का संक्षिप्त विवरण |

5. आयतन/ भार :
 6. नमूना प्राप्ति की तिथि और समय : समय:..... तिथि:.....
 7. लॉट/ बैच सं. :
 8. उत्पादन की तिथि : (दिन मास वर्ष)
 9. प्राप्त शुल्क : हां
 10. लैब कोड सं. : प्रयोगशाला द्वारा अभिलेख के लिए निरूपित किया गया कोड
- A. भौतिक परीक्षण**
11. पैकेजिंग का प्रकार :
 12. पैकिंग की दशा : ___
 13. नमूना की वास्तविक अवस्था : ___
 14. लेबलिंग का पर्याप्त विवरण : हां नहीं
 15. यदि पैकेजिंग की अवस्था या नमूना अथवा लेबल पर दिया गया विवरण अस्वीकार्य हुआ है, वह कारण प्रदान करे:

B. प्रयोगशाला विश्लेषण

16. विश्लेषण शुरू करने की तिथि: विश्लेषण पूर्ण होने की तिथि:

परीक्षण परिणाम

क्र. सं.:	गुणवत्ता मानक	एफएसएसआर के अनुसार विनिर्दिष्ट मान यदि एफएसएसआर में मानक निर्दिष्ट नहीं है तो सीओए के अनुसार	परीक्षण परिणाम	जांच पद्धति
	सुरक्षा मानक			

C. निष्कर्ष:

- नमूना अधिनियम नियमों और विनियमों के अधीन बनाए गए के अधिकथित विनिर्देशो अनुरूप है।
- नमूना अधिनियम नियमों और विनियमों के अधीन बनाए गए के अधिकथित विनिर्देशो के अनुरूप नहीं है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम और मुहर और पद नाम

प्रारूप - 3

[विनियम 14 (1) को देखें]

अनापत्ति प्रमाणपत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

प्रविष्टि पत्तन/स्थान: आयात की साधारण व्यक्त सं. और तिथि:

एंटी बिल संख्या और दिनांक:

सेवा में,

सहायक/ सीमा शुल्क उपायुक्त

श्रीमान,

बिल ऑफ़ एंटी के अनुसार उत्पाद	नमूना आईडी	निर्यातकर्ता देश

टिप्पणी: अनुरूप

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि पर, उत्पाद की शेष सेल्फलाइफ:

इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है यदि उल्लेखित खाद्य इस पत्तन से (अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैध अवधि) से पहले जारी या हटाया जाता है, जैसा कि निरीक्षण या विश्लेषण के परिणामस्वरूप नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है।

यह आपकी सूचना और आवश्यक कार्यवाई हेतु है।

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी की मुहर सहित नाम/हस्ताक्षर

स्थान:

प्रतिलिपि:

आयातक का नाम और आयात निर्यात कोड:

आयातक का पता:

आयातक की खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अनुज्ञप्ति संख्या:

सीमा शुल्क दलालों के नाम:

संलग्नक: प्रयोगशाला की रिपोर्ट/ प्रमाण पत्र**प्रारूप- 4**

[विनियम 14 (5) देखें]

गैर - अनुरूपता रिपोर्ट

गैर - अनुरूपता सं.:

दिनांक:

प्रविष्टि का पत्तन / स्थान: आयात साधारण प्रकट सं. और तिथि:

बिल ऑफ़ एंटी स. एवं तिथि:

सेवा में,

सहायक / उप सीमा शुल्क आयुक्त

श्रीमान,

बिल ऑफ एंट्री अनुसार उत्पाद	नमूना आईडी	निर्यातकर्ता देश

परेषण को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है:

1.
2.
3.

इस कार्यालय की राय है कि परेषण को इस पत्तन से उपरोक्त उल्लेखित कारणों से जारी/हटाया नहीं जाए।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी की मुहर सहित नाम/ हस्ताक्षर

स्थान:

प्रतिलिपि:

आयातकर्ता का नाम और आयात निर्यात कोड:

आयातकर्ता का पता:

खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम आयातक की अनुज्ञप्ति सं.:

सीमा शुल्क दलालों के नाम:

संलग्नक: रिपोर्ट/ प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र

प्रारूप - 5

[विनियम 14 (7) देखें]

अनिवार्य विनाश आदेश

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी

सेवा में,

तिथि:

सहायक सीमा शुल्क, आयुक्त

खाद्य अनुच्छेद के द्वारा आयातित किया गया:

आयातक अनुज्ञप्ति नं.:

पोत का नाम:

आयात सामान्य व्यक्ति संख्या:

दिनांकित:

बीई:

दिनांकित:

सूचकांक सं.:

सीमा शुल्क दलाल अनुज्ञप्ति सं.:

सीमा शुल्क दलाल का नाम:

सेवा में,

1. उपरोक्त उल्लेखित खाद्य परेषण _____ के द्वारा आयातित का निरीक्षण दिनांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया और नमूनों का विश्लेषण अधिसूचित प्रयोगशाला के द्वारा किया गया।

2. यह कार्यालय आपको इस खाद्य वस्तु के आयात की मंजूरी को अस्वीकृत करने और इसे पत्तन से न छोड़ने का अनुरोध करता है, क्योंकि खाद्य वस्तु के नमूने के निरीक्षण और विश्लेषण के परिणामस्वरूप यह नमूना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है।

3. प्रयोगशाला की गैर-अनुपालन विश्लेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर और नामित प्रयोगशाला की पुष्टि के पश्चात खाद्य नमूनों में संदूषण और सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति पाई गई जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरे हो सकते हैं। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

4. यह कार्यालय इस खाद्य वस्तु के आयात की मंजूरी को अस्वीकृत करने और इसे इस पत्तन से न छोड़ने का अनुरोध करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम के कारण इस परेषण की खाद्य वस्तुओं के अनिवार्य विनाश की सिफारिश करता है।

कृपया, यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोहर)

- प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न

प्रारूप - 6

[विनियम 15 2 (क) को देखें]

पुनर्विलोकन अधिकारी हेतु पुनर्विलोकन आवेदन

याचि का नाम और पता:

खाद्य कारोबार परिचालक का पंजीकरण सं.:

आयातक की अनुज्ञप्ति संख्या:

आयात विवरण

आयात की तिथि: _____ एंट्री ऑफ़ बिल सं. _____

आयात स्थान: _____

विचाराधीन खाद्य वस्तु का नाम: _____

उत्पाद का प्रकार: _____

खाद्य वस्तुओं का बीजक मूल्य: _____

नष्ट होने वाला: हां/ नहीं _____

उत्पाद का शेष सेल्फलाइफ़: _____

अंतिम उपयोग: _____

अस्वीकृति रिपोर्ट का विवरण

पुनरवलोकन हेतु मांगी गई अस्वीकृति रिपोर्ट की तिथि: _____

_____ के आदेश के द्वारा पारित

(प्राधिकरण)

(स्थान)

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियमन, 2017 जिसके अंतर्गत अस्वीकृत रिपोर्ट पारित की गई थी:

अपील में अनुतोष के लिए किया गया दावा: _____

तथ्यों का विवरण:

अपील का आधार

1.

2.

3.

तिथि:

.....

स्थान:

हस्ताक्षर

(याचि)

सत्यापन फॉर्म

मैं,, याचिका कर्ता यहां पर / याचि का अधिकृत प्रतिनिधि, यहां पर घोषणा करता हूँ कि संलग्न प्रारूप -1 तिथि में जो जानकारी दी गई है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान.....

तिथि.....

(याचिकाकर्ता)

प्रारूप - 7

[विनियम 7(1) को देखें]

(व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित खाद्य परेषण)**आयातक के द्वारा उद्घोषणा और वचनबन्ध**

मैं/हम.....के

.....निवासी एतद्वारा यह घोषणा तथा वचन देते हैं कि:

1. मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....

से.....(खाद्य परेषण निर्यातकर्ता देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या के द्वारा

.....दिनांक.....आयात किया है।

2. कुल वजन या ईकाई काउपरोक्त परेषण को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. उक्त परेषण का कोई भी भाग घरेलू बाजार में किसी भी रूप में बिक्री के लिए जारी नहीं किया जाएगा;

4. मेरा पासपोर्ट संख्याको (देश का नाम) से जारी जिसकी वैधता दिनांक.....तक है (केवल विदेशी/अनिवासी नागरिकों के लिए)

5. मैं/हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और नियमों और विनियमों के आधीन किये गए किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेवार एवं उत्तरदायी होंगे।

मैं/हम यह वचन देते हैं कि उक्त प्रपत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य एवं सही है।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 8

[विनियम 7(2) को देखें]

(सौ प्रतिशत निर्यात/पुनःनिर्यात हेतु आयातित खाद्य परेषण के लिए)

आयातक के द्वारा उद्घोषणा और वचनबन्ध

(एफवीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के (स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पता..... यह घोषणा तथा वचन देते हैं कि:

1. मैं/हम ने(खाद्य का नाम)..... से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या द्वारादिनांक.....पत्तन का नाम.....पर आयात किया है।

2. ऊपर वर्णित खाद्य उत्पाद को पूर्ण रूप से खपत उपयोग/ मूल्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए हमारी सहयोगी कम्पनियों के (दो संस्थाओं के मध्य एक परिभाषित संबंधी समझौता होने पर) शतप्रतिशत निर्यात/पुनःनिर्यात हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. मैं/हम यह वचन देते हैं कि उक्त परेषण का किसी भी भाग को घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं किया जाएगा;

4.

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 9

[विनियम 7(4) को देखें]

(अनुसंधान और विकास के लिए आयातित खाद्य परेषण के लिए)

आयातक के द्वारा उद्घोषणा और वचनबन्ध

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पता.....
यह घोषणा तथा वचन देते हैं कि:

1. मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या द्वारा
.....दिनांक.....पत्तन का
नाम.....पर आयात किया है।
2. ऊपर वर्णित खाद्य परेषण का कुल वजन/मात्रा.....है तथा पूर्ण रूप से
.....(परेषण का प्रयोजन).....के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. ऊपर वर्णित खाद्य उत्पाद को पूर्ण रूप से अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हेतु उपयोग किया जाएगा तथा उक्त परेषण के किसी भी भाग को घरेलू बाजार में मानव उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा ।
4. मैं/हम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के किसी भी उपबंध /नियम के उल्लंघन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होंगे।

मैं/हम यह वचन देते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 10

[विनियम 7(5) को देखें]

(प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शन के लिए खाद्य परेषण हेतु)

आयातक द्वारा घोषणा और वचनबन्ध

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पता.....
यह घोषणा तथा वचन देते हैं कि:

- 2 मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या के द्वारा
.....दिनांक.....पत्तन का
नाम.....पर आयात किया है।
- 3 ऊपर वर्णित खाद्य परेषण को पूर्ण रूप से व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों.....
.....(कार्यक्रम/प्रदर्शनी विशेष का नाम).....में प्रदर्शन के अलावा अन्य किसी भी
व्यवसायिक गतिविधि में उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 4 ऊपर वर्णित खाद्य उत्पाद को पूर्ण रूप से व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शन के अलावा चखने हेतु भी उपयोग किया
जाएगा तथा मैं/हम वचन देते हैं कि उक्त परेषण के किसी भी भाग को घरेलू बाजार में मानव उपभोग के लिए किसी भी रूप में
उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा ।
- 5 मैं/हम वचन देते हैं कि कार्यक्रम/प्रदर्शनी के समापन के पश्चात उक्त खाद्य वस्तु के खुले हुए डिब्बों को नष्ट कर दिया
जाएगा तथा मुहर बन्द पैकेटों को मूल देश में वापस निर्यात कर दिया जाएगा।
- 6 मैं/हम भारत में आयात किये गये खाद्य वस्तुओं की कुल मात्रा, कार्यक्रम में उपभोग की गई कुल मात्रा, नष्ट की गई
मात्रा, पुर्ननिर्यात की गई मात्रा का विवरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यक्रम/प्रदर्शनी के समापन पर उपलब्ध करवाएंगे ।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 11

[विनियम 7(6) को देखें]

(खेल कार्यक्रमों के लिए खाद्य परेषण के लिए)

आयातक के द्वारा उद्घोषणा और वचनबन्ध

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पता.....
यह घोषणा तथा वचन देते हैं कि:

- 1 मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या द्वारा
.....दिनांक.....पत्तन का
नाम.....पर आयात किया है।
- 2 मैं/हम वचन देते हैं कि उपरोक्त वर्णित खाद्य उत्पाद को केवल खेल कार्यक्रमों में ही उपयोग किया जाएगा।
- 3 मैं/हम वचन देते हैं कि उपरोक्त वर्णित खाद्य उत्पाद को किसी भी व्यक्ति को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं करवाया
जाएगा।

4 मैं/हम वचन देते हैं कि इस संबंध में एक दस्तावेजी सबूत कार्यक्रम के अन्तिम दिन से तीस दिन की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

5 मैं/हम वचन देते हैं कि आयातित खाद्य सामग्री की मात्रा संबंधित व्यक्तियों के प्रवास अथवा कार्यक्रम के दौरान जो भी पहले हो, आवश्यक प्रत्यक्ष उपभोग की मात्रा से अधिक नहीं है।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 12

[विनियम 8(3) को देखें]

जमा हुआ और ठण्डे आयातित खाद्य परेषण के लिए अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र के संबंध में उद्घोषणा
(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

सेवामें,

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई

.....आयात का पत्तन.....

महोदय,

मैं/हम..... निवासी..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
.....(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या
..... द्वारादिनांक.....पत्तन का
नाम..... के लिए अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं।

मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन आयात करने वाली फर्म/कम्पनी की ओर से करेंगे -

- I. ऊपर वर्णित एंट्री बिल संख्या पर आयातित समूचे परेषण को
.....(गोदाम का पता) पर आवश्यक तापमान नियंत्रण व्यवस्था
के साथ उपयुक्त भण्डारण सुविधा में रखा जाएगा और परेषण के किसी भी भाग को अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त किये
बिना जारी नहीं किया जाएगा।
- II. सम्पूर्ण तापमान दैनिकी को अनुरक्षित किया जाएगा अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करते समय भारतीय खाद्य सुरक्षा
एवं मानक प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

- III. सीमाशुल्क एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दोनों को उक्त गोदाम का निरीक्षण किसी भी समय करने का पूर्ण अधिकार है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने तक खाद्य परेषण को सुरक्षित रखा गया है।
- IV. उक्त भण्डारण परिस्थियों के गैर अनुपालन की स्थिति में, मैं/हम पूर्ण रूप से परेषण को सीमाशुल्क के न्याय क्षेत्र में लाने के लिए उत्तरदायी हैं तथा जैसा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्णय दिया जाएगा परेषण को नष्ट या पुनःनिर्यात करने के नियमों का अनुपालन करेंगे।
- V. उपरोक्त में से किसी भी नियम के गैर अनुपालन की स्थिति में, मैं/हम भविष्य में ऊपर वर्णित किसी भी सुविधा को पाने के योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के किसी भी उपबंधों या विनियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होंगे।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 13

[विनियम 9(3) को देखें]

07 दिन से कम शैल्फ लाईफ वाले आयातित खाद्य परेषण के लिए अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र के संबंध में षणा

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

सेवामें,

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई

.....आयात का पत्तन.....

महोदय,

मैं/हम..... निवासी..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
.....(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या
.....के द्वारादिनांक.....पत्तन का
नाम..... के लिए अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं।

2. मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित नियम और शर्तों का अनुपालन आयात करने वाली फर्म/कम्पनी की ओर से करेंगे

(I) मैं/हम प्रयोगशाला की जांच के पश्चात उत्पाद की गैर अनुरूपता की स्थिति में सम्पूर्ण उत्पाद को पुनः भेजने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार परेषण को पुनः निर्यात या नष्ट करने से संबंधित सभी सन्ननियमों के अनुपालन के लिए बाध्य होंगे।

(II) मैं/हम यह एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य प्रत्याह्वान तंत्र समाधानप्रद है।

(III) प्रयोगशाला परिक्षण में उत्पाद के असफल होने की स्थिति में, मैं/हम भविष्य में ऊपर वर्णित किसी भी सुविधा को पाने के पत्र नहीं होंगे तथा उसी विनिर्माता के उसी मूल देश के या उसी प्रयोगशाला के द्वारा प्रमाणित आगामी आयात होने वाले उत्पाद को जारी करने वाले मूल देश की प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र एफएसएसएआई की प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निकासी करने से पूर्व कठोरता से शतप्रतिशत जांच की जाएगी।

(IV) प्रयोगशाला परिक्षण में उत्पाद के असफल होने की स्थिति में, मैं/हम एफएसएसए अधिनियम 2006 तथा नियम और विनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

	आयातक के हस्ताक्षर मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 14

[विनियम 9(10) को देखें]

(प्रपुंज पैकजो और प्रतिनिधि नमूने वाले आयातित खाद्य परेषण के लिए के संबंध में)

आयातक द्वारा उद्घोषणा और वचनबन्ध

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
..... यह घोषणा और वचन देते हैं कि:

1. मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या के द्वारा
.....दिनांक.....पत्तन का
नाम.....पर आयात किया है।

2. उपरोक्त परेषण को कीटाणुरहित तरीके से पैक किया गया है/ या प्रकृति में आर्द्रता ग्राही है तथा इसके साथ प्रतिनिधि नमूने संलग्न हैं;

3. मैं/हम यह वचन देते हैं कि परेषण के साथ उपलब्ध करवाए गये प्रतिनिधि नमूने आयातित खाद्य उत्पाद के सही नमूने हैं/हैं।

4. मैं/हम एफएसएसए अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

मैं/हम यह वचन देते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है।

	आयातक के हस्ताक्षर स्टाम्प/मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

प्रारूप - 15

[विनियम 9(11) को देखें]

(प्रपुंज पैकजो और प्रतिनिधि नमने के बिना आयातित खाद्य परेषण के संबंध में)

आयातक द्वारा उद्घोषणा एवं वचनबन्ध

(एफबीओ/आयातक/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

मैं/हम..... के
(स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
..... यह घोषणा एवं वचनबन्ध देते हैं कि:

1. मैं/हम ने(खाद्य का नाम).....
से.....(खाद्य परेषण निर्यातक देश का नाम) बिल ऑफ़ एंट्री संख्या के द्वारा
.....दिनांक.....पत्तन का
नाम.....पर आयातक हैं।

2. उपरोक्त परेषण को कीटाणुरहित तरीके से पैक किया गया है/ या प्रकृति में आर्द्रता ग्राही है तथा इसके साथ प्रतिनिधि नमूने संलग्न नहीं हैं;

3. इसलिए दिये गये परेषण में नमूने लेने से पहले और नमूने लेने के पश्चात किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए एफएसएसएआई उत्तरदायी नहीं होगी।

4. मैं/हम एफएसएसए अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

मैं/हम यह वचन देते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है।

	आयातक के हस्ताक्षर स्टाम्प/मुहरबंद सहित
	नाम
स्थान	पता
दिनांक	सम्पर्क संख्या

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./465/16]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Food Safety and Standards Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2017

F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI.-Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2016 were published as required by section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated the 25th October, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st November, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

Chapter – I**Preliminary**

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
 - (a) **“Act”** means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
 - (b) **“Authorised Officer”** means a person appointed as such by the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India by an order for the purpose of performing functions under section 25 of the Act;
 - (c) **“Balance shelf-life”** means the period between the date of import (Import General Manifest) and “Best Before” or “Date of expiry” as the case may be;
 - (d) **“Bill of entry”** means the bill of entry filed by the Importer under the provisions of section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (e) **“Custodian”** means an officer appointed by Commissioner of Customs under whose custody the imported goods shall remain until they are cleared from the customs area for home consumption or are ware housed or are trans shipped as provided by law.
 - (f) **“Customs airport”** means any airport appointed under clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (g) **“Customs area”** means the area of a customs station and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by customs authorities;
 - (h) **“Custom House Agent”** shall have the meaning assigned to it in clause (c) of section 2 of the Custom House Agent Regulations, 2004;
 - (i) **“Customs port”** means any port appointed under clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) to be a customs port and includes a place appointed under clause (aa) of that section to be an inland container depot;
 - (j) **“fees”** means the charges specified by the food authority for clearance of imported food consignments;
 - (k) **“Food Analyst”** means a person appointed under section 45 of the Act to analyse the food sample;
 - (l) **“Food Importer”** means a Food Business Operator importing or desirous of importing article of food into Indian territory, who is duly licensed as Importer under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 made under the Act;

- (m) **“import”** means bringing into India any article of food by land, sea or air;
- (n) **“non-conformance report”** means a report issued to the customs authorities and the food importer by the Authorised Officer, or any other officer specifically authorised for this purpose, by the food authority, for non-compliance of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, of the consignment of the Food Importer;
- (o) **“No objection certificate”** means a certificate issued to the customs authorities and the food importer by the Authorised Officer, or any other officer specifically authorised for this purpose, by the Food Authority for complying with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, of the consignment of the Food Importer;
- (p) **“packing list”** means the itemised list of articles of food giving the description, quantity and weight of each imported articles of food;
- (q) **“pre-arrival document scrutiny”** refers to the scrutiny of documents submitted by the Food Importer to the Authorised Officer in advance, before the actual arrival of the articles of food to facilitate faster clearance of articles of food imported at the customs port;
- (r) **“prohibited article of food”** means that articles of food which has been declared by the food authority from time to time as prohibited article of food and published on the website of the Food Authority;
- (s) **“prohibited location or origin”** means the particular locations for which conditional or absolute restrictions are specified by the food authority on its website for import of articles of food;
- (t) **“review application fee”** means the fee levied by the food authority towards disposal of review application submitted by the Food Importer against the order of Authorised Officer pertaining to clearance of Import of articles of food;
- (u) **“Review Officer”** means an officer authorised by the Chief Executive Officer of the Food Authority for review of the orders of the Authorised Officer;
- (v) **“risk based random sampling”** means the activity of drawing samples randomly based on the risk criteria identified and the compliance history of the importer;
- (w) **“shelf life”** means the period between the date of manufacture and the “Best Before” or “Date of expiry” whichever is earlier as printed on the label;
- (x) **“stuffing list”** means a list of food items and its actual physical arrangement inside the container or cartons or pallets or skids;
- (y) **“Transit Country List”** means the list of countries through which the imported articles of food transits before it reaches the Indian territory;
- (z) **“unclaimed article of food”** means an imported articles of food consignment not having a claimant or bill of entry or both upto thirty days after unloading;
- (aa) **“un-cleared article of food”** means an imported articles of food consignment of which the delivery is not taken by the importer within the period of thirty days on receipt of no objection certificate from the food authority;
- (ab) **“visual inspection”** means the process of inspection by the authorised officer or an officer deputed by him for the purpose by which the physical condition of the food consignment, scrutiny of documents and compliance of packaging and labelling regulations are ascertained for the food safety compliance prior to drawing of samples.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Chapter – II

Licensing of Food Importers

3. (1) No person shall import any article of food without an import license from the Central Licensing Authority in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
- (2) No article of food shall be cleared from the custom unless it has a valid shelf life of not less than sixty per cent at the time of import.

- (3) For the purposes of sub – regulations (1) and (2), the Food Importer shall register himself with the Directorate General of Foreign Trade and possess valid Import-Export Code.
- 4. Suspension or cancellation of license.-** (1) The Licensing Authority may cancel or suspend food import license granted under regulation 3 for contravention of the provisions of these regulations or the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
- (2) Notwithstanding anything contained in regulation 3, the Licensing Authority after giving the Food Importer an opportunity to be heard, may cancel the Food Import license granted under any other regulations made under the Act, if the Designated Officer or Authorised Officer or any officer Authorised by the Food Safety and Standards Authority of India have reasons to believe that,-
- (a) there is sufficient ground to believe that the Food Importer has attempted to import unsafe articles of food, prohibited articles of food or articles of food from prohibited sources, directly or indirectly, including re-channeling or re-packing;
- (b) the Food Importer fails to comply with the conditions of the license, these regulations, or the undertaking of intended end use.
- (3) The Food Importer shall inform the Central Licensing Authority and the Authorised Officer of any suspension, revocation or cancellation of the certificate of Importer-Exporter Code, granted in its favour by the Directorate General of Foreign Trade not later than three working days from the date of such order of suspension, revocation or cancellation.
- (4) When the certificate of Importer – Exporter code granted by the Director General of Foreign Trade is suspended, revoked or cancelled, the import license granted under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 shall be deemed to have been cancelled.
- (5) The Licensing Authority may reconsider and issue license that has been cancelled by the Licensing Authority under the Act, as a consequence of the suspension, revocation or cancellation of certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade with previous license number within seven days of an application made by the importer for a license if- (a) the suspension, revocation or cancellation of the importers certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade has been withdrawn; or set aside;
- (b) or a fresh certificate of Importer-Exporter Code has been issued to the said Importer by the Directorate General of Foreign Trade.

Chapter – III

Clearance of Imported Food by the Food Authority

5. (1) Upon arrival of the food consignments at the port, the importer or Custom House Agent shall file an Integrated Declaration Form as specified by the Customs.
- (2) The Form forwarded from Customs to the Food Import Clearance System of Food Safety and Standards Authority of India shall be processed in the following manner, namely:—
- (a) the Authorised Officer shall scrutinise the Form and may seek clarification if required;
- (b) upon satisfactory scrutiny, the applicant shall pay the fees as specified by the Food Authority for scrutiny of documents, visual inspection and drawing of sample;
- (c) where a single bill of entry is made up of articles of food consignment consisting of multiple categories of articles of food, inspection fee shall be paid for each category of articles of food;
- (d) the Food Authority shall specify and review the inspection fee from time to time;
- (e) on receipt of the fees, the Authorised Officer shall intimate the details of date and time of inspection to the Food Importer to facilitate the presence of the Food Importer or his Custom House Agent/ Authorised representative at the time and place of inspection.
- (3) The Food Importer or his authorised representative shall remain present at the customs area at the appointed time to participate and facilitate visual inspection, assist in drawing of samples, if required, assist in the import clearance proceedings as instructed by the Authorised Officer or his representative and witness proceeding, sealing of samples by the Authorised Officer or his representative and affix his counter signatures on the sealed samples.

- (4) If the Food Importer or his Custom House Agent is not present to facilitate the inspection and sampling in spite of two opportunities having been granted, the Authorised Officer may refuse to grant further opportunity for inspection and sampling of the food consignment:

Provided that any further opportunity in this behalf may be granted by the Chief Executive Officer or his authorised representative after levy of suitable fee on the Food Importer as may be specified by the Authority from time to time.

- (5) The report of the visual inspection shall be submitted in **FORM – 1**.

6. Compliance with standards for packaging and labelling .- (1) No Food Importer shall import articles of food that is not transported, or stored in optimal storage conditions of temperature and hygiene, packaged and labeled as per the regulations applicable to that particular article of food.

- (2) Any consignment of food or multiple foods or food falling under different categories packed in a single container or carton or pallet or skid, shall be packed in such a manner that the Authorised Officer has easy access to all of them for inspection and sampling.
- (3) If there is no proper stuffing list in respect of article of food, the Authorised Officer shall direct the customs officer to issue an order for de-stuffing the container and facilitate the de-stuffing, in order to facilitate inspection and sampling.
- (4) In case of imported packaged food consignments, the following special dispensation on labeling shall be allowed for the rectifiable labeling deficiencies at the custom bound warehouse by affixing a single non detachable sticker or by any other non detachable method next to the principle display panel namely:—
- (a) name and address of the importer;
 - (b) Food Safety and Standards Authority of India's Logo and license number,
 - (c) Non-Veg or Veg Logo
 - (d) Category or sub category along with generic name, nature and composition for proprietary food
- (5) In respect of the rectifiable labelling deficiencies referred to in sub – regulation (4), the Authorised Officer may pass an order directing the Food Importer or his authorised agent to carry out the permissible labelling rectifications, within a specified time in the customs area without altering or masking the original label information in any manner.
- (6) On rectification by the Food Importer, the Authorised Officer shall carry out a re-inspection of the articles of food and if satisfied, draw the sample, subject to all other conditions being fulfilled by the Food Importer.
- (7) In case the Food Importer fails to rectify the permissible defects referred to in sub – regulation (4), within the specified time, the Authorised Officer may pass an order refusing clearance of such imported articles of food and issue a non conformance report.
- (8) If the Authorised Officer is satisfied that the Food Importer has complied with the provisions of these regulations, the Authorised Officer or his representatives shall draw two parts of food sample from the imported articles of food in the customs area in the presence of Food Importer or his Custom House Agent for testing the samples.
- (9) If the food analyst seeks additional information on ingredients or on any other parameters after receipt of the food sample, the Authorised Officer shall direct the Food Importer to provide such information duly supported by documentary evidence.
- (10) The Authorised Officer shall reject the consignment not complying with the provisions of Labeling and Packaging Regulations, 2011 at the visual inspection and no sample shall be drawn from the consignment

Chapter – IV

Food Import Clearance for Specific Purposes

7. (1) Nothing contained in these regulations shall apply to any person bringing in any article of food for his personal use provided that the value of such article of food shall not exceed the amount as allowed by custom from time to time.
- (2) The person carrying the imported articles of food for personal consumption shall submit the declaration in FORM- 7.

- (3) Unless otherwise specified, the customs authority need not to refer the imported articles of food to Food Authority for clearance if such articles of food are meant for the following purpose, namely-
- export as per the extant instructions and export rejected or re- imported articles of food meant for re-export of the Government ;
 - the articles of food or ingredients or additives which are being imported by the manufacturers or processors for their captive use or production of value added products for hundred per cent exports; or the consignments of articles of food or ingredients or additives imported by the firms or companies for use of their sister concerns or wholly owned subsidiary companies, to be used for hundred per cent export production subject to a defined relationship agreement between the two entities in this behalf;

Explanation 1.- For the purposes of clause (b) of sub – regulation 2, the importer shall declare in FORM - 8 regarding the captive or end use of the imported product to the Customs Department at the time of filing the bill of entry, declaring that the imported articles of food is meant to be used by the importer for hundred per cent export or re-import of articles of food for export again as the case may be, and that no part thereof shall be supplied for domestic consumption.

Explanation 2.- The facility under clause (b) of sub – regulation 3 shall not be applicable in the case of trading entities, which do not import such items for their captive use in view of the problems associated with traceability of the end-use of such items.

(4) The clearance of food imports shall be dealt in accordance with the provisions of Vienna Convention on Consular Relations, 1963 (Article 50 of the Vienna Convention on Consular Relations, 1963).

(5) The clearance of food import for the purposes of research and development may be allowed subject to –

- the import being undertaken by a licensed Food Importer;
- declaration by the Food Importer in FORM – 9 to the effect that the imported articles of food shall be utilised for aforesaid purpose only;
- not released into the domestic market or used for test marketing or market research purposes.

(6) There shall be following procedure for clearance of food imported for exhibition purposes, namely:—

- the exhibitor shall comply with the requirements, if any, specified by the custom and the exhibitor shall declare this in FORM- 10;
- The food importer shall also submit a copy of the Registration or License or Food Safety certificate issued by the Authorised Agencies of the country of origin, in case the articles of food are proposed to be used for tasting purposes;
- The food products, included in the list of prohibited items for import, of the Directorate General of Foreign Trade, or specified by the Food Authority from time to time, shall not be allowed to be imported for exhibition or tasting purposes;
- all products for exhibition shall bear an additional non-detachable label or sticker stating: “For Exhibition purpose only” and “Not for sale”;
- the food importer may be permitted to affix additional label in the custom-bonded warehouse, if not already affixed;
- The importing exhibitor shall maintain the bills of material—
 - of the items imported for exhibition;
 - of the items consumed for tasting purposes or destroyed;
 - of the items for re-export to the country of origin at the end of the exhibition, fair or event and shall be liable to submit such details on demand by the Authorised Officer;
- There shall be a placard shall be prominently displaying at the place of exhibition of such food items stating ‘For Tasting Only’.
- The unconsumed portion of the articles of food, which have been opened for tasting, shall be destroyed after the exhibition by the Food Importer as per the procedure.

- (i) The unopened and unconsumed articles of food shall be re-exported in securely packed condition under intimation to the Authorised Officer by the Food Importer.
- (7) The Food Authority may allow the clearance of food imports from a foreign country, exclusively meant for consumption by the sportspersons of such exporting country.
- (8) The quantity of imported articles of food shall not exceed the bona fide requirements for captive use or consumption by the persons concerned of such exporting country for the duration of their stay or event, whichever is earlier and the balance unconsumed articles of food shall be re-exported to its country of origin by the Authorised member of the delegation under intimation to the Authorised Officer.
- (9) The importer shall submit the declaration in FORM - 11 for clearance of imported food consignment.
- (10) The Food Importer or any person or entity concerned shall be debarred from any concessions or facilities set out, in future, in addition to the consequences in accordance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, The case of contravention of any of the conditions stated in these regulations
- (11) The quality or safety of imported articles of food shall be ensured through safety certificates issued by the competent authority of the donor country or agency, Where any article of food is received gratis from other countries in case of any disaster or emergency situations in any part of the country.

Chapter – V

Storage and Sampling of Imported Food

8. Storage facilities for Imported Foods – (1) No consignment of food articles shall be stored in a manner that one type of articles of food come in contact with other type of articles of food.

- (2) The imported articles of food shall be stored in accordance with the specified storage conditions in the custom warehouse before clearance, failing which, the concerned Authorised Officer may refuse to grant no objection certificate for import clearance of the food consignment.
- (3) The port authorities and custodian of freight stations shall ensure adequate and conducive storage infrastructure; meeting the safe storage of various types of imported food consignments in the customs area till the imported articles of food is cleared by the custom authority.
- (4) In case of imported article of food which requires special storage condition, the Authorised Officer shall verify the true storage conditions required for the consignment.
- (5) The Authorised Officer shall confirm from the cargo operator or Custodian of freight stations regarding the availability of desired special storage facilities at the custom bonded area at the port or airport.
- (6) In case of non – availability of storage facility, the Authorised Officer shall confirm from the department of custom their no objection to treat importers warehouse as custom bonded area.
- (7) For the purpose of sub-regulation (6), the Authorised Officer shall take an undertaking from the importer in FORM - 12, and issue provisional no objection certificate to the importer to move the food consignment to a well-equipped storage facility.
- (8) In case of non-compliance of any of the provisions of regulation, the importer shall not be eligible to avail any facility in future and also liable for other appropriate actions as per the prevailing law.
- (9) The Authorised Officer may issue a no objection certificate to the importer if he is satisfied on the basis of the analysis report conforming to standards.
- (10) The importer or customs shall ensure sale only after clearance based on no objection certificate.

9 Sampling of Imported Food in respect of imported article of food.-

- (1) The Authorised Officer or his representative shall ensure compliance with the Food Safety and Standards (Labelling and Packaging) Regulations, 2011 and with a valid balance shelf life in respect of imported article of food in the following manner, namely:—
 - (a) shall draw two parts of food sample of each description or measures (except for aseptic sealed packages);
 - (b) forward to the food analyst such quantity of sample as specified under the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011;
 - (c) seal the samples;

- (2) (a) If the imported articles of food is packed in a sealed bulk container by the manufacturer in order to maintain aseptic or hygroscopic condition, which is required to retain the character of the article of food, the manufacturer shall provide two representative sealed samples from the same batch along with a declaration by the manufacturer stating that the articles of food in the sealed container match with the representative samples placed in the sample containers.
 - (b) Where the representative sealed sample referred to in clause (a) with a manufacturer undertaking is not provided by the Food Importer, the Authorised Officer is empowered to break open the seal and collect a sample for lab analysis.
 - (c) The Authorised Officer may collect a representative sample from the sealed container, for lab analysis, wherever the provided sealed representative samples appear to be doubtful.
- (3) In respect of imported articles of food having shelf-life less than seven days, the applicant shall declare the same in FORM - 13 allowing the Authorised Officer to draw sample and issue provisional no objection certificate to the customs, without waiting for the analysis report from laboratory and on receipt of the report analysis from the laboratory, the Authorised Officer shall communicate to the customs along with no objection certificate if products conform to the standard.
- (4) In case of non – conformance of the sample, the Authorised Officer shall immediately inform the Importer or Custom Broker, to initiate recall of that consignment and submit a compliance report as specified in the Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2017.
- (5) The Food Authority shall alert all import points to maintain vigil on imports of products manufactured by the same company or similar products imported by the same importer or Custom Brokers.
- (6) The sealed sample of imported articles of food shall bear the following information on the Label, namely:-
 - a. code number of the sample;
 - b. date and place of collection;
 - c. quantity of sample;
 - d. name of articles of food and category as per the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations-2011.
 - e. name and quantity of preservative added while drawing the sample, if any;
 - f. name and signature of the Food Importer or his Custom House Agent and;
 - g. name and signature of the sender with official seal.
- (7) The Authorised Officer shall forward one part of the sealed and labelled articles of food to the Food Analyst who shall analyse or cause to be analysed by a notified laboratory under regulation 2.1 of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.
- (8) The remaining parts of the food sample after forwarding one part of the sealed and labeled articles of food referred to in sub – regulation 7, shall be stored in appropriate conditions by the Authorised Officer or his authorised representative.
- (9) On the sample being found to be safe, the remaining sample shall be returned to the food importer.
- (10) If the sample found to be unsafe, on request received from Food Importer, the second sample may be forwarded to the Referral Laboratory for analysis.
- (11) The rejected export consignments by foreign countries that have been returned to India as the country of origin shall be subject to these regulations except that the packaging and labelling requirements shall be in accordance with the country of export and the importer shall submit rejection documents of the country of export.
- (12) The Food Analyst shall analyse or cause to be analysed by a notified laboratory an article of food forwarded by the Authorised Officer as per the parameters specified in the Act and the regulations made thereunder and shall forward his report within five days to the Authorised Officer whether the product is conforming or non-conforming.

Provided that proprietary foods, shall be tested for as per general safety requirements for contaminants, toxins, residues and microorganism, laid down by the Food Safety and Standards Regulation, 2011, wherever applicable, depending on the nature of product.

The Certificate of analysis, submitted by the importer, shall be sent with the sample. The COA should be referred while undertaking the requisite tests for quality parameters.

- (13) If the sample cannot be tested by the laboratory within the specified time it shall state the reasons for the same in writing to the Authorised Officer. The food analyst shall forward the report of analysis to the Authorized Officer duly signed by him.

Chapter – VI

Laboratory – Analysis of Samples of Imported Articles of Food

10. **Food Analysis.**- (1) The sample of imported articles of food forwarded by the Authorised Officer shall be caused to be analysed by the laboratories notified by the Food Authority.
- (2) The fees payable for analysis of imported articles of food by referral or notified laboratory shall be as specified by the Food Authority from time to time.
- (3) The Authorised Officer shall forward the first part of the sample of imported article of food for laboratory analysis to a Food Analyst of a laboratory notified by the Food Authority under sub-section (1) of section 43 of the Act and Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.
- (4) The notified or referral laboratory shall follow the following procedure for food analysis, namely:-
- (a) on receipt of the sample of food from the Authorised Officer, the notified or referral laboratory shall immediately conduct a preliminary inspection of the sample to ascertain whether all the information required for testing is available or on the sufficiency of the sample quantity, and if there is any deficiency, the laboratory shall immediately inform the Authorised Officer of these deficiencies;
- (b) the notified or referral laboratory shall comply with the test methods specified by the Food Authority with regard to the tests to be performed and the equipment to be used, for testing samples of different categories of articles of food:
- Provided that in cases where the test method has not been specified by the Food Authority, the notified or referral laboratory shall comply with the specifications for testing that have been specified by the Codex Alimentarius Commission or the International Organisation for Standardisation or Director General Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;
- (c) the notified or referral laboratory shall bring to the notice of the Food Authority any new test or method of testing that it may seek to conduct on samples of any specific article of food, or any new equipment that it may seek to use but shall not commence using the test or method of testing or equipment unless so permitted by the Food Authority.
- (5) The notified laboratory or referral laboratory, as the case may be, shall provide the laboratory analysis report duly signed by its Food Analyst in FORM - 2 within five days from the date of receipt of the sample.
- (6) An importer may file an appeal against the result of notified laboratory within fifteen days of receipt of the non conformance report.
- (7) Upon appeal by the Food Importer, the Authorised Officer shall forward the second sample of imported articles of food for laboratory analysis to the specified referral laboratory notified by the Food Authority under sub-section (2) of section 43 of the Act and the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.
- (8) Whenever laboratory analysis of a food sample reveals presence of contaminants and presence of microbiological organisms which may pose a serious hazard to the safety and health of the consumer, the Food Analyst shall inform the same to the Authorised Officer for initiating suitable action.
- (9) In case the Authorised Officer has sufficient reason to believe that the imported articles of food consignment poses a serious hazard to the safety and health of the consumer, he shall suo motu refer the second sample to the referral laboratory for retesting to seek the confirmation of the findings of the notified laboratory.
- (10) The retesting referred to in sub – regulation (9) of regulation 10 shall be immediately brought to the notice of the Food Authority by the Authorised Officer.
- (11) The samples, if found to be hazardous shall be destroyed by a specified procedure following biohazard guidelines, and all the imported articles of food to which the samples related, shall be destroyed or re-exported to the country of manufacture or origin by the Food Importer within thirty days of being directed to do so by the Food Authority, failing which, the Food Importers license shall be deemed to have been cancelled.

Chapter – VII

Scheme for Risk based Food Import Clearance

11. **Risk Based Framework.-** (1) The Food Authority may review the risks associated with articles of food imports from time to time and adopt a risk-based framework and risk based inspection process for clearance of imported articles of food.
- (2) For the purposes of sub – regulation (1), the Food Safety and Standards Authority of India shall profile the Importer, Custom House Agents, imported product, manufacturer of the imported product, country of origin, source country of the consignment, port of entry, compliance history and any other parameters deemed fit for profiling the risk associated with the commodity.
 - (3) Food Authority may specify the sampling frequency to be conducted for the import of different categories of food products
 - (4) The Food Authority may introduce Pre-Arrival Document Review for regulating the imports.
 - (5) The Food Authority may in consultation with the concerned Ministry as it deems fit may enter into a Memorandum of Agreement with relevant agencies in exporting countries on reciprocal basis to facilitate ease of doing business and accelerated clearance of food imports from the countries referred to in sub – regulation (2).
 - (6) The Food Authority may identify laboratories in exporting countries for prior testing of food samples before the articles of food are imported into India.
 - (7) The Food Authority may, from time to time, issue food alert notifications, including time bound prohibition on articles of food or prohibiting source or recalls, based on the risk associated with the articles of food.
 - (8) Every importer shall submit a recall plan as per regulations on food recall procedures specifying the detail of contingency plan of ensuring the traceability of the products in case of any eventuality of risk associated with the food consignments, and if he fails to do so, the license may be cancelled or suspended.
 - (9) The food alert notification shall immediately be informed to the Risk Management System of the customs department.
 - (10) The alert notification shall remain in force until the Food Authority is satisfied that the risk is no longer prevailing or that control measures are in place to prevent the continuation of the risk and confirmed by test reports.
 - (11) During the pendency of alert notification, the Food Authority may order for additional tests at the point of entry, mandatory certification from the exporting countries or channelisation till such time as the Food Authority may deem fit.
 - (12) The Government agencies shall conduct post clearance surveillance of all food imports including —
 - (a) random checks on the imported food items,
 - (b) providing relevant documents to support the declarations and information provided by the importer or Custom House Agent to Customs as specified by them.

Chapter – VIII

Prohibition and Restrictions on Imports of Article of Food

12. **Power of the Food Authority to issue orders for prohibition and restriction on import of article of food.-** (1) The Food Authority may prohibit or restrict import of any article of food based on risk perception or outbreak of disease and issue orders as it deems fit in this regard.
- (2) The Food Authority may issue order or advisory or guideline as it deems fit, from time to time for ensuring the safety and wholesomeness of articles of food imported into India and such prohibitions and restrictions shall be informed to the customs immediately.
 - (3) Every Food Importer to whom any order or direction is issued in pursuance of any provisions of these regulations shall comply with such order or direction and if the Food Importer fails to comply with such direction or order, the Food Authority may cancel the import license issued to the Food Importer.
 - (4) The customs authorities, port authorities or any other agency involved in the clearance, rejection, auction or destruction of imported articles of food in the customs area shall provide all such statistics to the Food Authority on a quarterly basis.

Chapter – IX**Officers of the Food Authority**

13. (1) The Food Safety and Standards Authority of India shall notify the officers for the purpose of food import clearance to ensure compliance of the provisions of the Act, and it may also notify officers from other government agencies to maintain the standard operating procedure for food import clearance.
- (2) The Authorised Officer shall have the following powers and duties, namely:-
- (a) to receive applications for food import clearance;
 - (b) to make such inquiry and inspection as may be necessary to verify that the import of articles of food is not in contravention of any provision of the Act, rules and regulations made thereunder;
 - (c) to refuse inspection and intimate the customs, if the articles of import are misclassified as food based on end use declaration;
 - (d) to ensure compliance of all the conditions specified in regulation 6;
 - (e) to take photographs of imported food consignment for review and documentation;
 - (f) to draw samples for testing of the imported food, if all the conditions specified in regulation 6 are complied with;
 - (g) to collect additional sample of imported articles of food on payment of invoice value of the articles of food;
 - (h) to re-seal any package opened for drawing of samples and certify that the same had been opened and sealed;
 - (i) to forward the samples to a food analyst of a notified laboratory in proper manner for analysis and receive the report of the laboratory analysis;
 - (j) to order additional tests on the food sample of imported food based on visual inspection, risk potential and instructions issued from time to time by the Food Authority;
 - (k) to inform the Food Authority of any new variety of food or food ingredients, previously unknown hazards, or any other technical difficulties;
 - (l) to maintain record of food imports, inspection, sampling and related activities, action taken, review process within the jurisdiction of customs ports assigned to him and such other duties assigned by the Food Authority from time to time in writing and by photographs and audio - videography;
 - (m) to report to the concerned Licensing Authority of any violation of any conditions of licensing by the Food Importer;
 - (n) to recommend destruction or re-export of imported articles of food with necessary conditions as he may deem fit and ensure compliance of the same;
 - (o) to inform the laboratory immediately on receipt of advance notice of arrival from the importer under the Pre-Arrival Document Review of the articles of food;
 - (p) to ensure that the laboratories authorised by the Food Authority comply with all the specified procedures and perform all parameters of testing as specified in the regulations or permissions accorded by the Food Authority;
 - (q) to ensure that the laboratories authorised by the Food Authority shall maintain records of laboratory analysis of the imported articles of food in the format as specified by the Food Authority;
 - (r) to present all the related facts and documents before the Review Officer during the review process;
 - (s) to seek data or information on imported articles of food consignment from the customs authorities;
 - (t) to store the remaining parts of the food sample in appropriate conditions for re-analysis at referral food laboratory on the basis of appeal or application received from the Food Importer or return to the Food Importer with acknowledgement, after issue of no objection certificate;
 - (u) to issue no objection certificate or non-conformance report, as the case may be, to the customs authorities and Food Importer;
 - (v) to carry out any other duties as may be assigned by Food Authority from time to time.

Chapter – X**Orders by the Authorised Officer**

14. No Objection Certificate. — (1) The Authorised Officer shall issue a 'no objection certificate' in FORM – 3, after assessing the safety of food being imported under these regulations under his seal and signature for allowing import of food, and shall communicate such order in a specified manner to the customs and the Food Importer.

- (2) The no objection certificate permitting the import of food shall have the validity of thirty days of receipt of no objection certificate within which the articles of food have to be taken out by the Food Importer from the customs area and the period of validity of no objection certificate for various types of articles of food shall be reviewed by the Food Authority from time to time.
- (3) The Food Importer shall take effective steps to get the articles of food released from the customs area within the period of validity stated in the no objection certificate issued by the Authorised Officer failing which they shall be deemed to be un-cleared articles of food.
- (4) A copy of the report of the laboratory analysis shall be forwarded to the Customs and the Food Importer, wherever the no objection certificate is issued based on the report of the laboratory.
- (5) The Authorised Officer shall issue a non conformance report in FORM – 4 specifying the grounds mentioned in these regulations for refusal, wherever the clearance of the imported food is refused, under his seal and signature, and shall communicate such order in a specified manner to the customs, Food Authority and the Food Importer.
- (6) A copy of the report of the laboratory analysis shall be forwarded to the customs, Food Authority and Food Importer, wherever the report is issued based on a non-conformance laboratory Analysis Report.
- (7) Based on the findings and recommendations in non- conformance report of the laboratory analysis and subsequent confirmation from the referral laboratory, if contamination or presence of microbiological organisms is likely to pose a significant risk to public health, the Authorised Officer, with the prior approval the Food Authority shall pass necessary orders for mandatory destruction of articles of food in FORM- 5.
- (8) The customs shall provide a report to the Authorised Officer informing all the pertinent details of the destruction and the same shall be provided every quarter of the financial year.

Chapter – XI**Review Process**

15. Reviewable orders. – (1) Any Food Importer, aggrieved by one or more of the following orders of the Authorised Officer, may file a review application to the Review Officer —

- (a) rejecting the clearance of the imported articles of food for non-compliance of the conditions specified in regulation 6 of these Regulations;
 - (b) any order directing the Food Importer to rectify the labeling of the articles of food; and
 - (c) order of rejection issued on receipt of a non-conformance report from Food Analyst.
- (2) (a) The review application shall be in FORM-6 and be accompanied by such fee as may be specified by the Food Authority from time to time;
- (b) The review application shall be presented to the Review Officer along with the required documents within fifteen working days from the date of receipt of the report of rejection;
- (c) The Review Officer may admit a review application after the expiry of the said period for an extended period of seven working days, if he is satisfied that the Food Importer had sufficient cause for not presenting it within that period.
- (3) (a) The Review Officer shall consider the facts and dispose of the review application in accordance with the provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder and orders or notifications issued by the Food Authority from time to time;
- (b) On receipt of the completed application for review along with all documents, the Review Officer, if he deems fit may, fix the date, time and venue of hearing the representation of the Food Importer;
- (c) The Food Importer, either in person or by a representative, and the Authorised Officer, either in person or through an authorised representative, shall have the right to be heard at the hearing of the review application;

- (d) If either the Food Importer or the Authorised Officer or their authorized representative fails to appear themselves at the hearing of the review application, the Review officer may proceed to decide the review on merits;
- (e) The Review Officer shall dispose of the review application within a period of seven days, after filing of the review application by the Food importer and the reply of the Authorised Officer thereof:
Provided that the Review Officer may allow submission of further evidence or material, if he deems necessary and also forward a part of the sample for analysis to the referral laboratory;
- (f) The Review Officer may, before disposing off any review application, make such further enquiry as he may think fit or direct the Authorised Officer to make such further enquiry and report the result of the same;
- (g) The Review Officer may, at the time of hearing of the review application, go into any ground not specified in the grounds for review, if the Review Officer is satisfied that the omission of that ground was not willful or unreasonable;
- (h) The order of the Review Officer disposing off the review application shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision;
- (i) On the disposal of the review application, the Review Officer shall communicate the order passed in the review application to the Food Importer, customs and the Authorised Officer; and
- (j) The food importer may file a second appeal against the order of the review officer to the chief executive officer, food safety and standard authority of India, within fifteen days from the date on which the review order is received.

Chapter – XII

DISPOSAL OF REJECTED FOOD CONSIGNMENTS AND FOOD SAMPLES

16. Rejection of imported food consignments. - (1) (a) On receipt of the non- conformance report, the Custodian or importer shall dispose of the imported food consignment in accordance with the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962):

Provided that the no food consignment shall be disposed off until the period of limitation is over for filing of review application against the order of the Authorised Officer:

Provided further that in cases of storage of articles of food, the cost and expenses incurred in the storage of the articles of food, in such cases, shall be borne by the Food Importer;

- (b) The Authorised Officer shall return the remaining sample to the Food Importer or his Custom House Agent with acknowledgement within a period of ten days from the date of issue of no objection certificate;
- (c) If the Food Importer fails to collect the remaining parts of the sample, Authorised Officer shall dispose of the sample in the manner specified by the Food Authority;
- (d) On receipt of non-conformance report, the remaining parts of the sample shall not be released to the Food Importer or his Custom House Agent and the same shall be retained in the safe custody of the Authorised Officer for a period of thirty days:

Provided that if any review application or any legal processing is filed by the Food Importer against the non-conformance report and the same is pending, then the second part of the sample shall remain with the Authorised Officer until the review application or any legal proceeding is disposed of;

- (e) In case, no review is filed and the sample may pose risk to the public health the sample shall be disposed of as provided in sub – regulation (7) of regulation 14; and
- (f) If no review application is filed by the Food Importer within the specified period , from the date of receipt of the non-conformance report or if the review is disallowed, the Authorised Officer may dispose of the remaining part of the sample in the manner specified by the Food Authority.

Chapter – XIII

Treatment of Uncleared and Unclaimed Article of Food

17. (1) The Authorised Officer shall follow the procedure of inspection, sampling, testing and clearance laid down under these regulations, for disposal of all cases of uncleared or unclaimed articles of food.

(2) The Authorised Officer shall, on receipt of request made by the Custodian and after ensuring that the requisite fee has been paid, issue either a no objection certificate or non conformance report after assessing the safety of uncleared or unclaimed food consignment based on inspection and laboratory analysis.

FORM – 1

[See regulation 5(5)]

Visual Inspection Format

The seal on the container was inspected, it reads as ----- and the same was found to be intact.

The seal was broken by the Authorised Officer or his representatives in presence of the following:

- 1.
- 2.
- 3.

BREAK OPEN SEAL FORMAT

 Food Safety and Standards Authority of India 		
Port Of Entry: _____		
<p>This Package is opened and a sample taken by the Authorised Officer of FSSAI, to have the same analyzed by a notified laboratory.</p> <p>Authorised Officer Seal</p>	Location: _____	<p>This Package has been re-sealed in my presence</p> <p>Initials of Customs House Agent</p>
	Sample ID: _____	
	Signature: _____	
	Name Of Officer: _____	
	Date: _____ Time: _____	

(Please tick the applicable)

Nothing was stored in the container.

The following were found stored, in the container:

- 1.
- 2.
- 3.

The articles of food were stored in a clean and hygienic condition and were free of:

1. Living/dead/fragments of insect
2. Rodent contamination
3. Moulds
4. Unwanted odour taint or mustiness
5. Any other substance, which can influence the safety of the food.

8. Date of Manufacture : (mm/yyyy)
 9. Fee Received : Yes
 10. Lab Code No : *code assigned by laboratory for its records*

A. Physical Examination

11. Type of Packaging :
 12. Condition of Package :
 13. Physical Appearance of sample : —
 14. Labelling – Details sufficient : Yes No
 15. If condition of packaging or sample or details provided in the label is not acceptable, provide reason: _____

B. Laboratory Analysis

16. Analysis date of starting: Analysis date of completion:

Test results

S No:	Quality Parameters	Specified limit as per FSSR/ as per COA if not mentioned in FSSR	Test Results	Test method
	Safety Parameters			

C. Conclusion:

- The sample conforms to the specifications laid down for all the parameters in the Act and the rules and regulations made thereunder.
 The sample does not conform to the specifications laid down in the Act and the rules and regulations made thereunder for the parameters.

Place

Signature

Date

Name and Seal and Designation

FORM – 3

[See regulation 14 (1)]

No Objection Certificate

No objection certificate No:

Date:

Port of Entry/Location: Import General Manifest No. and date:

Bill of entry number and date:

To,

The Assistant/Deputy Commissioner of Customs

Sir,

Product as per the bill of entry	Sample ID	Exporting country

Remarks: Conforming

Balance shelf life of the product, on the date of issue of this no objection certificate:

This office has no objection if the above mentioned articles of food is released or cleared from this port before Validity period of the no objection certificate, as the result of the inspection or analysis that the sample conform to the specifications provided under the Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006), and the rules and regulations made thereunder.

This is for your information and necessary action please.

Date:

Name/Signature with Seal of the Authorised Officer

Place:

Copy to:

Name of the Importer and Import Export Code:

Address of Importer:

Food Safety and Standards Act License Number of the Importer:

Name of the Custom Brokers:

Enclosure: Report/ Certificate of Laboratory.

FORM – 4

[See regulation 14(5)]

Non – Conformance Report

Non conf No:

Date:

Port of Entry/Location: Import General Manifest No. and date:

Bill of entry number and date:

To,

The Assistant/Deputy Commissioner of Customs

Sir,

Product as per the bill of entry	Sample ID	Exporting country

The consignment is rejected on following grounds:

1.
2.
3.

This office is of the opinion that the consignment is not to be released or cleared from this port for the reasons mentioned above.

This is for your information and necessary action please.

Date: _____ Name/Signature with Seal of the Authorised Officer

Place:

Copy to:

Name of the Importer and Import Export Code:

Address of Importer:

Food Safety and Standards Act License Number of the Importer:

Name of the Custom Brokers:

ENCL: Report/ Certificate of Laboratory.

FORM - 5

[See regulation 14(7)]

Mandatory Destruction Order

Food Safety and Standards Authority of India Authorised Officer

To,

Date:

The Asst. Commissioner of Customs

Food Article imported by :

Importer License No:

Vessel Name:

Import General Manifest Number:

Dated:

BE:

Dated:

Index No:

Custom Brokers License No:

Custom Brokers Name:

Sir,

1. The above mentioned food consignment imported
by _____

_____ was inspected on _____ by the Authorised Officials of

Food Safety and Standards Authority of India and samples have been analysed by the Notified laboratory.

2. This office requests you to reject the clearance of import of this article of food and not to release it from this port as the result of the inspection and analysis of the sample of the articles of food does not conform to the specifications specified under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and rules and regulations made thereunder.
3. Based on the findings and recommendation in Non-Conformance Laboratory Analysis Report and subsequent confirmation from the Referral Laboratory, the contamination and presence of microbiological organisms in the food sample is likely to pose a significant risk to public health. The lab analysis reports are enclosed.

4. This office requests you to reject the clearance of import of this consignment and not to release it from this port and recommends for mandatory destruction of the articles of food of this consignment owing to the significant risks to the Public Health.

This is for your information and necessary action please.

Copy of Lab Analysis Report attached

Yours Faithfully,
(Name and Seal of
Authorised Officer)

FORM - 6

[See regulation 15(2) (a)]

Review Application to the Review Officer

Name and address of the petitioner:

Registration No. as Food Business Operator: _____

Importer's License No.: _____

Import Details

Date of Import: _____ Bill of Entry No: _____ Point of import:

Name of Article of Food under consideration: _____ Product

Type: _____

Invoice Value of Articles of Food: _____ Perishable:

Yes/No _____

Balance Shelf life of the item: _____

End Usage: _____

Rejection Report Details

Date of Rejection Report sought to be reviewed: _____ Order

passed by: _____

(Authority)

(Place)

Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2016 under which the Rejection Report was passed:

Relief claimed in appeal: _____

Statement of Facts:

Grounds of Appeal

1.

2.

3.

Date:

Place:

Signed
(Appellant)

Form of verification

I,....., the petitioner herein/ the authorised representative of the petitioner herein, do hereby declare that what is stated in the accompanying Form I dated is true to the best of my knowledge, information and belief.

Place.....

Date.....

(Appellant)

FORM- 7

[See regulation 7 (1)]

(For imported food consignment meant for Personal Use)

Declaration and undertaking by Importer

I/ We, _____, resident(s) of _____ do hereby declare and undertake that:

1. I/We have imported _____ <Name of food> _____ from _____ <country of origin of consignment> _____ vide _____ <Bill of Entry number> _____ dated _____ ;
2. The above consignment of _____ < Net weight or unit> _____ will be solely used for personal consumption;
3. No part of the aforementioned consignment will be sold/ released into the domestic market in any manner;
4. I am holding Passport Number which is valid up to only). issued from _____ <name of the country> _____ which is valid upto _____ (*Applicable in case of Foreigners/ NRIs only.
5. I shall be responsible and liable for any contravention of the Food Safety and Standard Act, 2006 and rules & regulations made there under.

I affirm that all information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM - 8

[See regulation 7 (2)]

(For imported food consignment meant for hundred per cent Export/ Re- export)

Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on FBO/Importer/Company's Letterhead)

I/We, _____ [Proprietor/ Partner/ Managing Director/
Director / Authorised Signatory of M/S _____ <with address>
_____ do hereby declare and undertake that:

1. I/We have imported the consignment of _____ < Name of product> _____

measuring _____ <Weight/ Units> from _____ <Country of origin of consignment>
 _____ vide _____ <Bill of entry number> _____ dated _____ at
 _____ <Port location> _____;

2. The aforementioned Food Product is intended solely for the captive use/ production of value added products/ for use of our sister/ subsidiary companies (subject to a defined relationship agreement between the two entities) for 100% exports/ re- export.
3. I/We undertake that no part thereof will be supplied for domestic consumption.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM - 9

[See regulation 7 (4)]

(For imported food consignment meant for Research and Development purposes)

Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on FBO/Importer/Company's Letterhead)

I/We _____ [as Proprietor/ Partner/ Managing

Director/ Director/ Authorised Signatory of M/S _____] do hereby declare and undertake that:

3. I/We are the importer _____ <Name of food> _____ from _____ <Country of origin of the consignment> _____ vide _____ < Bill of Entry number> dated _____.
4. The above consignment is _____ <Net weight/ Quantity> _____ and will be used solely for _____ <purpose of consignment> _____.
5. The consignment will be exclusively used for Research and Development purposes for assuring the highest quality standards only and will not be utilized or released in the domestic market for human consumption even if it is for test marketing or market research purpose.
6. I/We shall be fully responsible and liable for any contravention of Food Safety and Standard Act, 2006 (34 of 2006) and rules & regulations made there under.

I/We affirm that all information given above is true to the best of my/our knowledge and belief.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM- 10

[See regulation 7 (5)]

(For imported food consignment meant for Display Purpose in
Trade Fair/Exhibition)**Declaration and undertaking by Importer**

(To be printed on FBO/Importer/Company's Letterhead)

I/We, _____ [Proprietor/ Partner/ Managing Director/
Director/ Authorised Signatory of M/S _____ <with address>
_____ do hereby declare and undertake that:

2. I/We have imported the consignment of _____ < Name of product> _____
measuring _____ <Weight/ Units> from _____ <Country of origin of consignment>
_____ vide _____ <Bill of entry number> _____ dated _____ at
_____ <Port location> _____ ;
3. The aforementioned Food Product is intended solely for the purpose of Display only in the
Trade Fair/Exhibition_< mention the specific event> _____ and not meant for any
other commercial purpose.
4. The aforementioned food, apart from Display, is also intended to be used for the purposes of Tasting and I/we
undertake that no part of the said product shall be released in the market for consumption purposes in any other
manner;
5. I/We undertake that after conclusion of event, the opened packages of these articles will be destroyed and the
packed food will be re-exported to the country of origin;
6. I/We shall furnish the details of the total quantity of the consignment imported into India, the quantity
consumed in the process of Tasting, the quantity destroyed and the quantity being re-exported to the competent
authority in respect of the above said consignment after the conclusion of the Trade fair/Exhibition.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM - 11

[See regulation 7 (6)]

(For imported food consignment meant for Sports Events)

Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on FBO/Importer/Company's letterhead)

I/We, _____ [Proprietor/ Partner/ Managing Director/
Director/ Authorised Signatory of M/S _____ <with address>

do hereby declare and undertake that:

1. I/We have imported the consignment of _____ < Name of product>
measuring _____ <Weight/ Units> from _____ <Country of origin of consignment>
vide _____ <Bill of entry number> dated _____ at _____ <Port
location> _____ ;
2. I/We undertake that the aforementioned Food Product is intended solely for the Sports Events.
3. I/We undertake that the food shall not be released for sale to any other person.
4. I/We undertake that the unused food shall be re-exported to Exporting country after the event or it shall be destroyed.
5. I/We undertake that I shall submit the documentary proof thereof within thirty days from the last day of event.
6. I/We undertake that the quantities of food imported is not more than the quantities necessary for direct utilization by the persons concerned for the duration of the stay or event, whichever is earlier.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM -12

[See Regulation 8(3)]

Declaration regarding issue of provisional no objection certificate for frozen and chilled imported food consignment

(To be printed on the Letterhead of the FBO/Importer/Company)

To

The Authorised Officer, FSSAI

_____ <Port of Import> _____ .

Dear Sir,

I/We, _____ resident of _____ [as

Proprietor/ Partner/ Managing Director/ Director/ Authorised Signatory of M/S

are importer of _____ <Name of Food Items> _____ in the consignment imported vide _____
 <Bill of Entry> _____ dated _____ at <Port location> _____, request

you to issue provisional NOC for the same.

I/We hereby undertake to comply with the following terms and conditions on behalf of the importing firm/company as under: -

- (i) The entire consignment under above mentioned Bill of Entry will be retained in a storage facility with the required temperature control system at _____ <address of warehouse> _____ and no part of the consignment shall be released into the market prior to issuance of the no objection certificate;
- (ii) Complete temperature log of the storage conditions shall be maintained and provided to Food Safety and standard Authority of India at the time of issue of no objection certificate;
- (iii) Both Customs and Food Safety and standard Authority of India have the right to inspect the said storage facility at any time to ensure that the consignment is held securely till the clearance certificate is provided by Food Safety and standard Authority of India ;
- (iv) In the event of non-conformance to the above storage conditions, I/We shall be fully responsible to move the cargo back to Customs jurisdiction and comply with all the norms for destruction/ re-export as may be decided by the competent Authority;
- (v) In case of non-compliance of any of the above norms, I/We will not be eligible to avail of the above mentioned facility in future. Besides, I/We will be liable for contravention of the Food Safety and standard Act, 2006 and rules & regulations made there under.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM - 13

[See regulation 9 (3)]

Declaration regarding issue of provisional NOC for imported food consignment with less than 07 days' shelf life

(To be printed on the Letterhead of the importing FBO/Importer/Company)

To

The Authorised Officer, FSSAI

_____ <Port of Import> _____ .

Dear Sir,

I/We, _____, resident of _____ [As

Proprietor/ Partner/ Managing Director/ Director/Authorised Signatory _____ of M/s _____] are importer of _____ <Name of food items> _____ having very short shelf-life (less than 7 days) in the consignment imported vide _____ <Bill of Entry> _____

dated _____ at _____ <Port location> _____ and request you to issue provisional NOC.

2. I/We hereby undertake to comply with the following terms and conditions on behalf of the importing firm/company as under:

- (i) I/We shall be fully responsible for complete product recall in case of non-conformity of the product after lab analysis and shall comply with all the norms for destruction/ re-export, as may be decided by the competent Authority;
- (ii) I/We do hereby certify that we have satisfactory food recall mechanism in place;
- (iii) In case of failure of product in lab analysis, I/We shall not be eligible to avail of the above mentioned facility in future and all subsequent imports of the product from the same manufacturer of the same source country or certified by the same lab will be subject to stringent 100% analysis irrespective of certificate issued by the source country prior to clearance by FSSAI Authorised Officer.
- (iv) In case of non-conformance of the product after lab analysis, I/We shall be liable for contravention of the FSSA Act, 2006 and Rules & Regulations made there under.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM -14

[See regulation 9 (10)]

(For imported food consignment containing bulk packages and having representative sample)

Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on FBO/Importer/Company's Letterhead)

I/We _____ [as Proprietor/ Partner/ Managing Director/

Director/ Authorised Signatory of M/S.....] do hereby declare and undertake that:

1. I/We are importer of _____ <Name of food> _____ from _____ < name of the country of origin of consignment> _____ vide _____ <Bill of Entry number> _____ dated _____;
2. The given consignment is aseptically packed and/or hygroscopic in nature and is accompanied with representative sample;
3. I/We hereby undertake that the representative samples provided with the consignment is/ are true representative of the imported food product;
4. I/We shall be fully responsible and liable for any contravention of FSSA Act, 2006 and Rules & Regulations made there under.

I/We affirm that all information given above is true and to the best of my knowledge and belief.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

FORM 15

[See regulation 9 (11)]

(for imported food consignment containing bulk packages and not having representative sample)

Declaration and undertaking by Importer

(To be printed on Letterhead of the FBO/Importer/Company)

I/We, _____ [as Proprietor/ Partner/ Managing Director/ Director/ Authorised Signatory of M/S _____], do hereby declare and undertake that:

1. I/We are importer of _____ <Name of food> _____ from _____ <Country of origin of consignment> vide _____ < Bill of Entry number> _____ dated _____;
2. The given consignment is aseptically packed and/or hygroscopic in nature and does not contain any representative sample;
3. Hence, the FSSAI will not be held responsible for any damage observed before or after sampling of the given consignment;
4. I/We shall be responsible and liable for any contravention of FSSA Act, 2006 and Rules & Regulations made there under.

I/We affirm that all information given above is true and to the best of my knowledge and belief.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name: _____
Place : _____	Address: _____
Date : _____	Contact Nos: _____

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./465/16]